

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग



उत्तराखण्ड भासन

जनपद — चमोली

वृत्त का नाम:— 7 वां वृत्त, लो०नि०वि०, गोपेश्वर

खण्ड का नाम :— प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

कार्य का नाम:— जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की
घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-
लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु
वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वनभूमि का क्षेत्रफल :- 3.850 हेक्टेयर (सिविल वनभूमि)
:- 0.120 हेक्टेयर (मक डिस्पोजल)
3.97 हेक्टेयर

CHECK LIST

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
1- Main Attachments			
1.1	Documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency.		Attached
1.2	Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted.		Attached
1.3	Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS.		Attached
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend.		Attached
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land.		Attached
1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006		Attached
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation		Attached
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA.		Attached
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate		Attached
1.10	Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency.		Attached
1.11	Cost benefit anylises (in more then 5.0 ha. Land diversion cases)		Not Required, as the Land Diversion is less than 5.0 HA
1- Additional Documents			
2.1	A short narrative and importance of the project.		Attached
2.2	Administrative and Financial sanction.		Attached
2.3	Preliminary Joint Inspection report.		Attached
2.4	Comperative chart showing statement of both alignment of the proposed project.		Attached
2.5	Certificate from the DM that no alternative suitable non-forest land is available for the project in question and the demand of the forest land for the project is barest minimum.		Attached
2.6	Land schedule		Attached
2.7	Category wise land length, width and area		Attached
2.8	Bar Chart with index		Attached
2.9	Compensatory afforestation scheme in Civil and Soyam land		Attached
2.10	Certificate regarding suitability of indentified land for Comensatory Afforestation		Attached
2.11	Undertaking by the User Agency to bear the cost of compensatory afforestation		Attached
2.12	Road side plantation estimate		Attached

CHECK LIST

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation		Attached
2.14	Estimate of 100 trees plantation (less then 1.0 ha. cases)		Not Required
2.15	Details of the trees with their scientific name		Attached
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided)		Attached
2.17	Certificate from DFO If felling of trees is not involved		Not Required
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work		Attached
2.19	Muck disposal scheme		Attached
2.20	Status of the project area is a part of National Park or sanctuary and airal distance of the project from National Park or sanctuary		Attached
2.21	If the project area is within 10 Km radius of National Park or Century No objection certificate of CCF Wild Life		Not Required
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF Gol.		Not Required
2.23	No voilation has taken place, FC Act. 1980 reg		Attached
2.24	NOC from local Gram Sabhas		Attached
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation.		Not Required
2.26	Component wise details of construction work.		Not Required
2.27	Certificate- work has not been started reg.		Attached
2.28	Geologist Report		Attached
2.29	Task Force report		Attached
2.30	Item wise details of work		
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition		Attached
2.32	Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas		Attached
2.33	No historical/monumental or relegeous place will be effected.		Attached
2.34	Undertakoing regarding no animal will be effected adversely by the project		Attached
2.35	Undertading to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project		Attached
2.36	Benefited villages/Families/Population Certificate		Attached
2.37	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreem court /MoEF orders		Attached

CHECK LIST

Sl. No.	Name of the Document	Page No.	Remark
1	2	3	4
2.38	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreme Court increases the rates of NPV		Attached
2.39	Cost of the forest land and lease rent certificate		Not Required
2.40	Certificate of Lease period		Not Required
2.41	Demarcation of land to be diverted		Attached
2.42	Undertaking of user agency to bear the cost for demarcation work		Attached
2.43	Non-availability of non-forest land for compensatory afforestation certificate.		Not Required
2.44	Fact sheet . /Other imp details		Attached


Assistant Engineer
Provincial Division, PWD
Gopeshwar


Executive Engineer
Provincial Division, PWD
Gopeshwar

परिशिष्ट (देखिये नियम 6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा 2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग - 1

(प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिये)

1- परियोजना विवरण :-

(1) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण

मा0मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ में पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी से ढींग तक मोटर मार्ग

(2) 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों

मानचित्र संलग्न है।

(3) परियोजना की लागत

रु0 126.00 लाख

(4) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य

उक्त मोटर मार्ग निर्माण से पर्वतीय दूरस्थ यूंणा, लांजी, पोखरी, ढींग को आवागमन की सुविधा एवं रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। विस्तृत विवरण संलग्न है।

(5) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)

(6) रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है

स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

2- कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्य विवरण

3.97 हे0 वन भूमि उक्त निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करना।

3- परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है -

(1) परिवारों की संख्या

(2) अनुसूचित जाति/जन जाति के परिवारों की संख्या

(3) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)

लागू नहीं है।

4- क्या पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है - (हां/नहीं)

नहीं (मार्ग कच्चा है)

5- प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-2 राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाय)

संलग्न है।

6- निर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा -

विषय सूची के अनुसार।

तिथि -

स्थान - गोपेश्वर

(आदर्श गोपाल सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
प्रां.खं. लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

प्रस्ताव की कम संख्या :-

(प्राप्त करने की तारीख नोडल अधिकारी द्वारा भरी जानी है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या -

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या -

7- परियोजना/स्कीम का स्थान -

(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

(2) जिला

(3) वन प्रभाग

(4) वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०)

(5) वन की कानूनी स्थिति

(6) हरियाली घनत्व

(7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि/श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. - 2 मी० पर परिगणना और एफ.आर.एल. - 4 मी० भी संलग्न किये जाय

(8) (1) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी

(2) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल (हे० में)

(9) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)

(10) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हो/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।

(11) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पौरम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

8- प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।**9-** क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।**10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा -**

(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार

(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप

(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण रकबा के विवरण कार्यान्वयन, ऐजेन्सी, समय, अनुसूची, लागत, ढांचा आदि

यूणा, लांजी, पोखरी, द्वीग

उत्तराखण्ड

चमोली

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

सिविल/वन पंचायत वन भूमि

0.4

सूची संलग्न है।

भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न है

नहीं

नहीं

नहीं

हां अपरिहार्य एवं न्यूनतम है

नहीं

नहीं

प्रांकलन संलग्न

मानचित्र पर उल्लिखित है

संलग्न है

संलग्न है

प्रस्ताव की कम संख्या :-

(प्राप्त करने की तारीख नोडल अधिकारी द्वारा भरी जानी है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या -

(प्राप्ति की तिथि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या -

7- परियोजना/स्कीम का स्थान -

- (1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र
- (2) जिला
- (3) वन प्रभाग
- (4) वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०)
- (5) वन की कानूनी स्थिति
- (6) हरियाली घनत्व
- (7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि/श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)। सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. - 2 मी० पर परिगणना और एफ.आर.एल. - 4 मी० भी संलग्न किये जाय

यूणा, लांजी, पोखरी, द्वीग

उत्तराखण्ड

घमोली

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

सिविल/वन पंचायत वन भूमि

0.4

सूची संलग्न है।

- (8) (1) भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी
- (2) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल (हे० में)
- (9) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाय)
- (10) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हो/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।
- (11) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पौरम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न है

नहीं

नहीं

नहीं

8- प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

हां अपरिहार्य एवं न्यूनतम है

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

नहीं

नहीं

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा -

प्रांकलन संलग्न

(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार

मानचित्र पर उल्लिखित है

(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप

संलग्न है

(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन, ऐजेन्सी, समय, अनुरूची, लागत, ढांचा आदि

संलग्न है

(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तिय परिव्यय

संलग्न है

(5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)

संलग्न है

वन क्षेत्र अधिकारी
जमशेदी रुन्व

बडीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशिष्टतः उपयुक्त कालम 7, गण्ड 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।

संलग्न है

12- विभाग/जिलाप्रोफाइल :-

(1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र -

803000 हे०

(2) जिले का वन क्षेत्र -

514792 हे०

(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र

(4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर

(5) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वन भूमि पर

766.26 हे०

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के सम्बन्ध उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश

वनभूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है

तिथि -

स्थान - गोपेश्वर

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर

वन क्षेत्र अधिकारी
जमशेदी रुन्व
बडीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग "ख" में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि -

स्थान -

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर

भाग - 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17- टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव के स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें)

(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक अथवा एप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि -

स्थान -

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर

भाग - 5

(इसे वन विभाग प्रभारी, सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाता है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

तिथि -

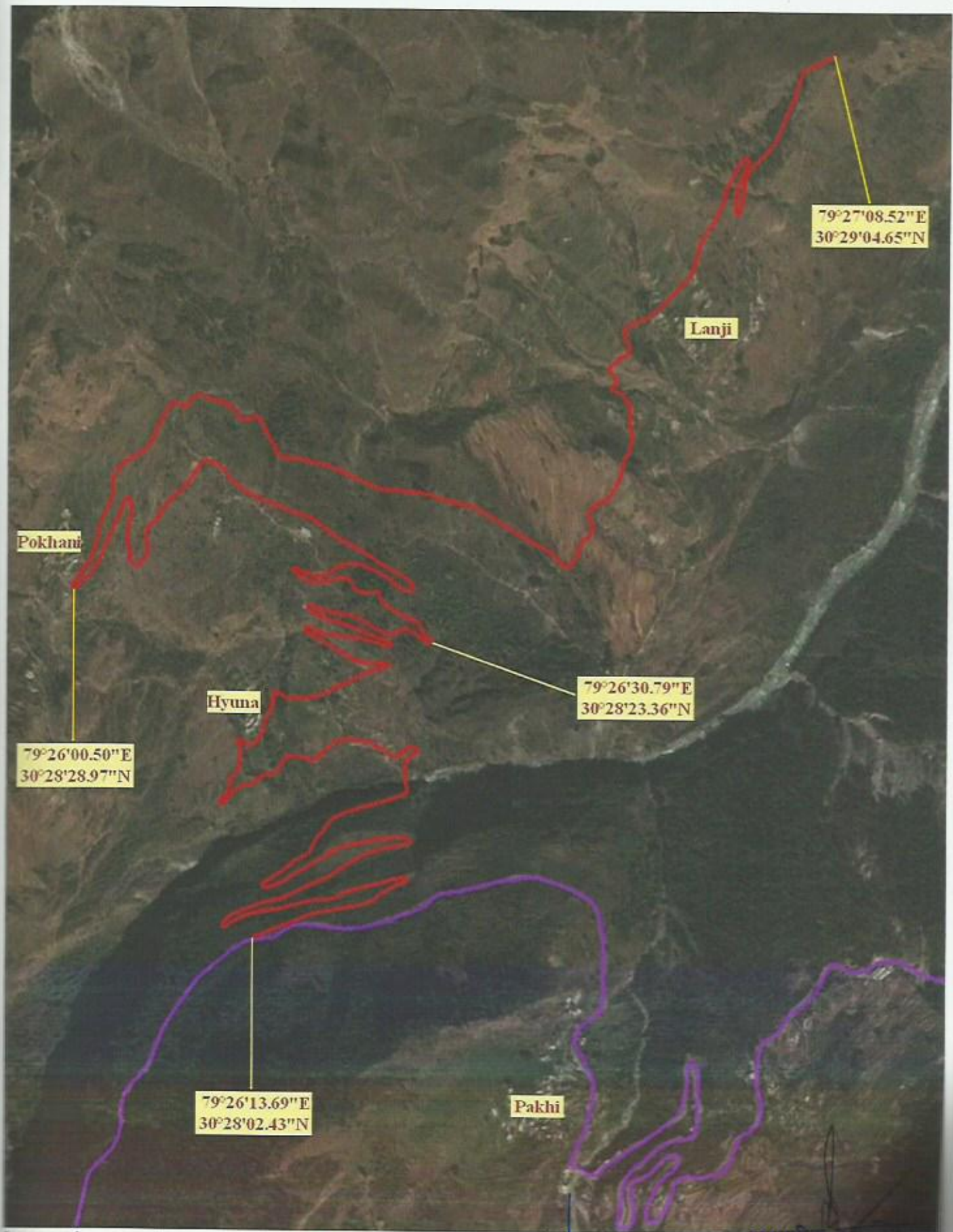
स्थान -

हस्ताक्षर

(नाम)

सरकारी मोहर

डिजिटल मैप – जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी – हयूणा – पोखनी – लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 10.00 किमी0)



Legend

- Proposed Road
- Existing Road

[Signature]
 सहायक अभियन्ता
 मा0 खण्ड ला0 नि0

जिलाधिकारी
 ए.ए. चमोली

[Signature]
 प्रभागीय अधिकारी
 वहीनाय दत्त शर्मा, जिलाधिकारी

पटवारी क्षेत्र
 चमोली
 ति0 11/01/2020

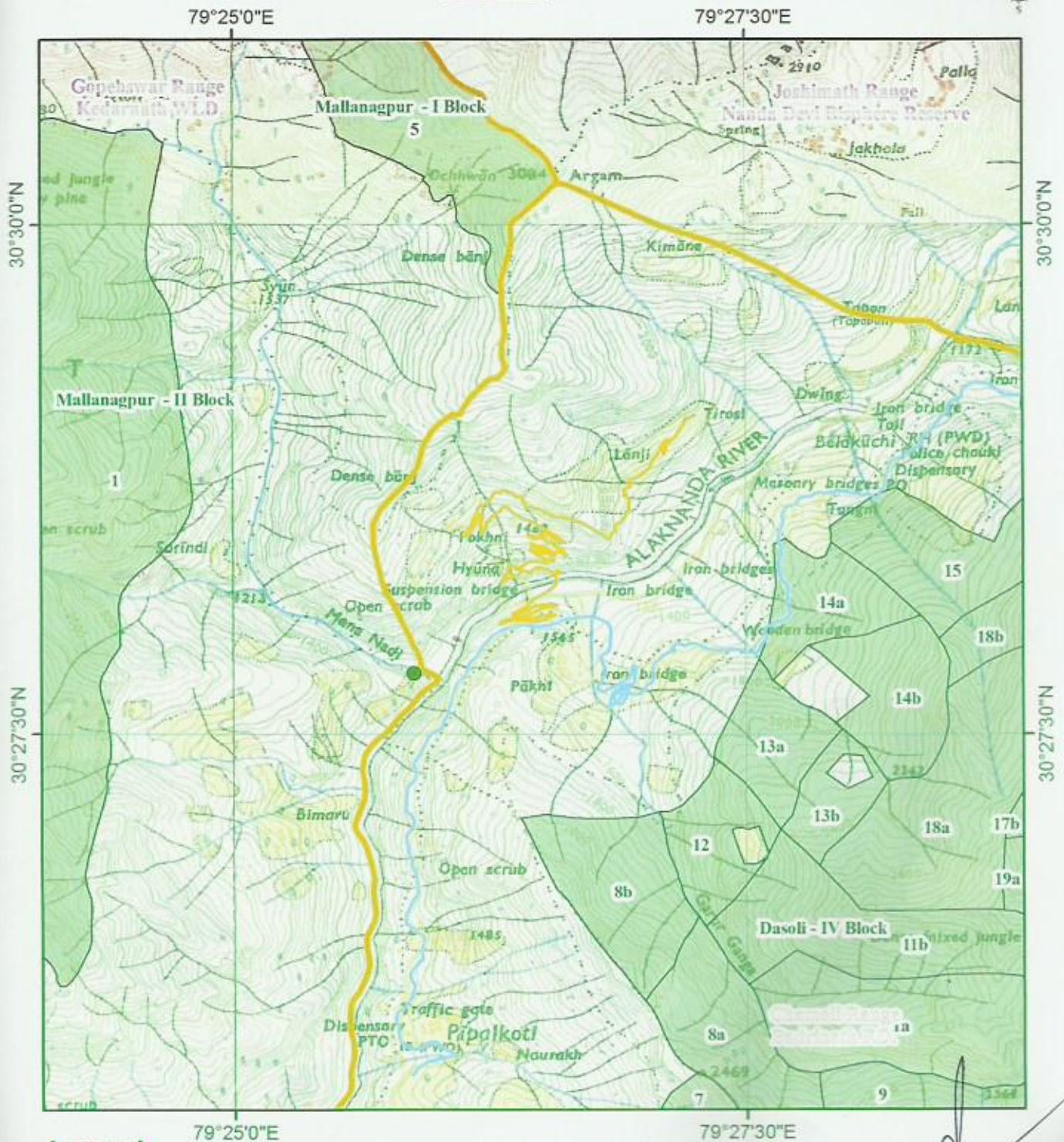
गोपेश्वर

आधिकारिक अभियन्ता
 प्रांतीय खण्ड, ला0 नि0 वि0
 गोपेश्वर

चमोली

डिजिटल मैप – जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी – हयूणा – पोखनी – लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 10.00 किमी0)

0 0.5 1Km



Legend

- Proposed Road
- Existing Road
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary

सहायक अभियन्ता
मा० खण्ड लो० नि० वि०
चमोली

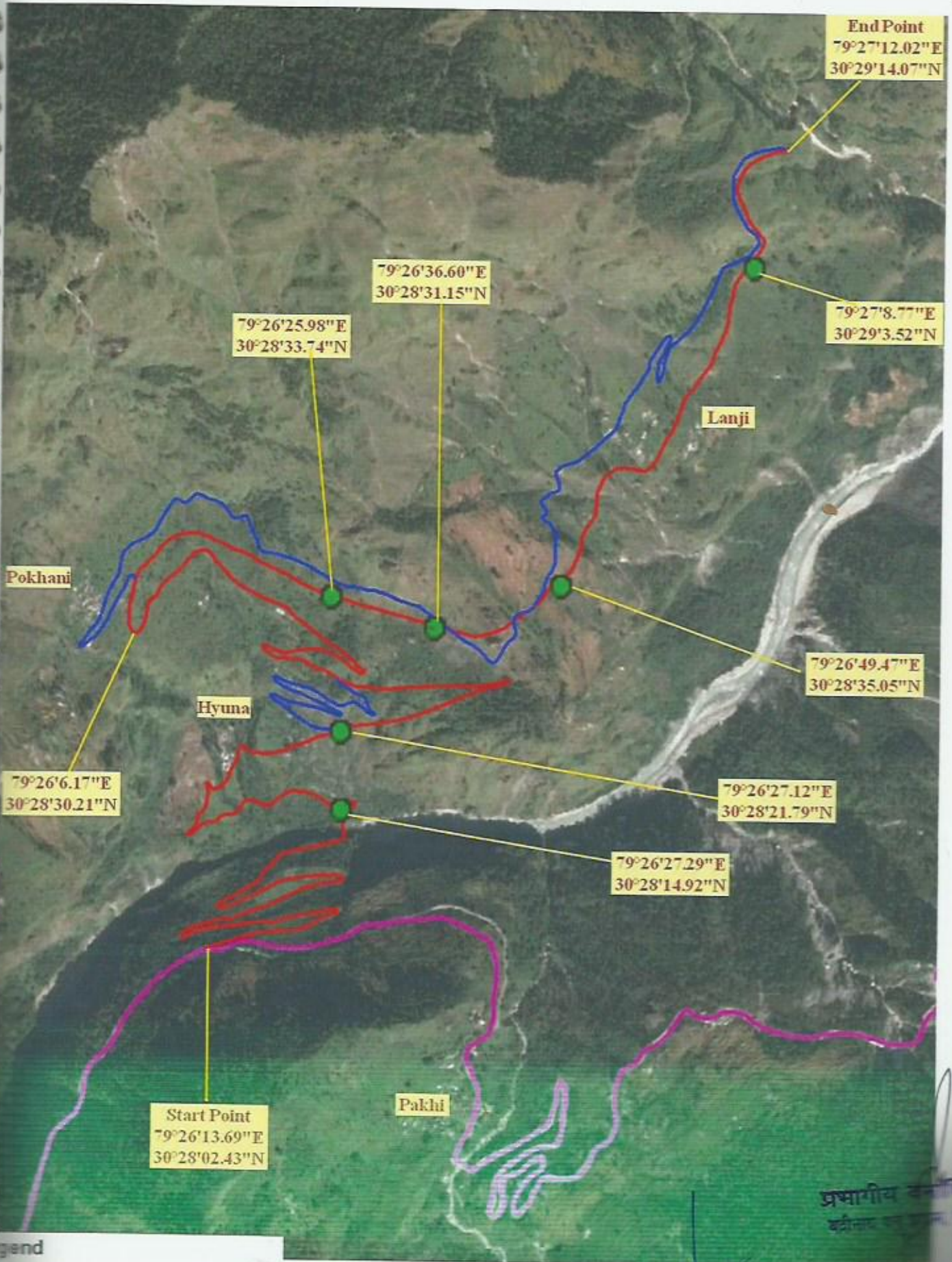
ए.ए. अधिशासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, चमोली

विलासिनाथ
चमोली

वन विभागाध्यक्ष
चमोली डेप
बद्रीनाथ वन प्रभाग, चमोली

डिजिटल मैप – जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी – हयूणा – पोखनी – लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 10.00 किमी0)

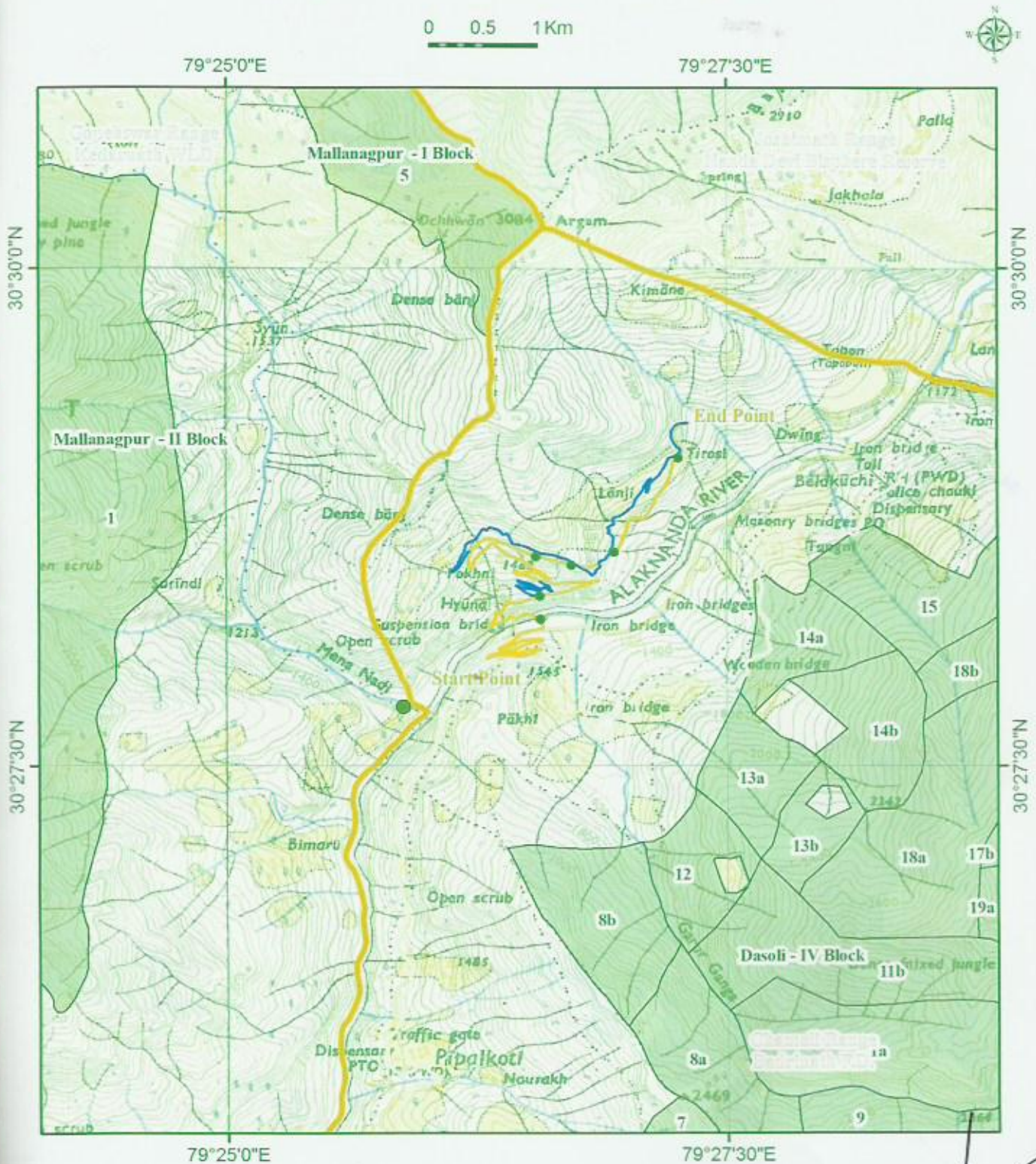


सहायक अभियन्ता
 ज० प्र० खण्ड लो० नि० वि०
 ज० प्र० खण्ड

अधिसूची अभियन्ता
 ज० प्र० खण्ड लो० नि० वि०
 ज० प्र० खण्ड

प्रभागीय संचालक
 ज० प्र० खण्ड लो० नि० वि०

डिजिटल मैप – जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी – हयूणा – पोखनी – लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 10.00 किमी0)



Legend

- Muck Disposal
- Proposed_Road
- Alternate_Road
- Existing_Road
- Reserve Forest
- ▭ Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

विलासिनी
बनेदी

जे

सहायक अभियन्ता
प्र० खण्ड लो० वि० वि०
गोपेश्वर

अधिसारी अभियन्ता
प्र० खण्ड भूक निर्माण वि०
गोपेश्वर

Justification

Name of The Project :-

Construction of Pakhi-Hyuna-Pokhani-Lanzi-Dwing Motor Road. C.M. announce

Necessity of the Project and Justification for locating the Project in Forest Area

Presently the villagers of the village Hyuna, Pokhani, Lanzi, dwing have to walk through a distance of 10.00 Km to meet their daily needs as there is no road connecting the village. Due to the non-existent of any road connectivity the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further, due to non-existent of the road connectivity the area remains backward in all respects. The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and agriculture.

The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Mirch, Aloo, Green Vegetable, Rajma etc. on their feet or by mules to the nearby market.

Due to the construction of road following benefits are provided to local People & Government too.

- 1- Enhance the social and economical development of this area.
- 2- Migration of people from the village shall be minimized.
- 3- Due to easily accessibility forest can be protected from fire during summer season to save Vegetation Plants & animals.
- 4- The Village People will travel large distance for their Jobs.
- 5- Local people will find jobs near their village.
- 6- More women will get employment & will improve their economic situation.
- 7- Educational development in this area.
- 8- Hospital and medical facilities.

The forest land area falling in the proposed alignment of the road which is 3.97 Hectare has been surveyed to the minimum and also the alignment of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree felling. Other than the proposed alignment for the road, there is no such alignment which shall reduce the diversion of forest area or felling of the trees. The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00m and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological Investigation along the proposed alignment has been carried out which also states that the proposed alignment of the road is safe for construction. There are no graveyards, religious, historical/monumental or legendry places falling in the proposed alignment of the road.

In view of the above facts and in public interest, it is requested that the Forest land area of 3.97 Hectare may kindly be diverted for the construction of the road.


Assistant Engineer
Provincial Division PWD
Gopeshwar


Executive Engineer
Provincial Division PWD
Gopeshwar

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

Dated :- 20-05-2016

No. :-

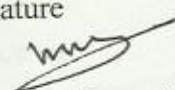
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 3.97 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for **Construction of Pakhi-Hyuna-Pokhani-Lanzy-Dwing Motor Road. C.M. Announce**, Length 8.90 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.97 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature


(Vinod Kumar Suman)
(District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी
चमोली

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

Dated :- 20-05-2014

No. :-

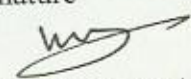
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 3.97 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for **Construction of Pakhi-Hyuna-Pokhani-Lanzi-Dwing Motor Road. C.M. Announce**, Length 8.90 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.97 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to - annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature


(Vinod Kumar Suman)
(District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूणा-पोखनी-लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी जोशीमठ
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में टी0 एस0 पी0 राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूणा-पोखनी-लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.97 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 10.3.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | |
|------------------------------------|---|---------|
| 1- श्री <u>अनूप कुमार नीरख</u> | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>विजय प्रसाद प्रोहिट</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री <u>महेश कांति देवी</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी, बी.डी.सी. जोशीमठ | सदस्य |
| 4- श्री <u>महेश कांति देवी</u> | सदस्य | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में टी0 एस0 पी0 राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूणा-पोखनी-लांजी से द्वींग मोटर मार्ग निर्माण हेतु हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

उप जिलाधिकारी
अध्यक्ष
बोर्डावट

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य

बी.डी.सी. जोशीमठ
सदस्य

उप जिलाधिकारी
अध्यक्ष
बोर्डावट
उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य
बी.डी.सी. जोशीमठ
सदस्य

उप खण्ड - चमोली

परियोजना का नाम : जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूण-पोखनी-लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

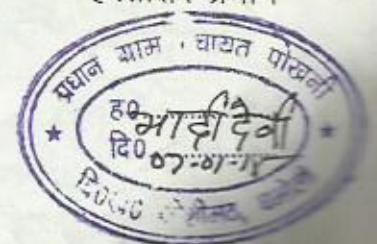
जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूण-पोखनी-लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.97... हे0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 7.9.4 हे0 सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 3.97... हे0 सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर प्रधान



कार्य का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूणा-पोखनी-लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

दिनांक.....7/4/2015 को ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्न लिखित सदस्य उपस्थित हुये

क्रम संख्या	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	देवेन्द्र सिंह	देवेन्द्र सिंह
2	पुनर् सिंह	पुनर् सिंह
3	बलवन्त सिंह	बलवन्त सिंह
4	दिनेश सिंह	दिनेश सिंह
5	वीरेंद्र सिंह	Birendra
6	प्रेम सिंह	
7	देवनाथ सिंह	देवनाथ सिंह
8	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
9	रघुवीर सिंह	
10	रघुवीर सिंह	
11	रघुवीर सिंह	
12	मोहन सिंह	
13	बालू सिंह	
14	जगन्नाथ सिंह	जगन्नाथ सिंह
15	रविशंकर सिंह	रविशंकर सिंह
16	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
17	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
18	विष्णु सिंह	विष्णु सिंह
19	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
20	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
21	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
22	दिनेश सिंह	दिनेश सिंह
(23)	आशीष सिंह	Ashish Singh
(24)	रघुवीर सिंह	Ramesh Singh
25	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
26	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
27	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
28	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
29	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
30	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
31	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
32	वरदान सिंह	वरदान सिंह
33	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूणा-पोखनी-लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

दिनांक 7/11/2015 को ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्न लिखित सदस्य उपस्थित हुये

क्रम संख्या	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
33	दामोदर पुराद	दामोदर
34	रामचन्द्र सिंह	रामचन्द्र
35	चुगाप सिंह	चुगाप सिंह
36	शिवदास सिंह	शिवदास सिंह
37	महेश सिंह	महेश सिंह
38	धुरली सिंह	धुरली सिंह
39	बबीला शर्मा	बबीला शर्मा
40	अंजली देवी	अंजली देवी
41	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
42	लीमा देवी	लीमा देवी
43	Laxmi	Laxmi
44	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
45	हार्दिक सिंह	हार्दिक सिंह
46	जगत सिंह	जगत सिंह
47	सुकुतला देवी	सुकुतला देवी
48	दिनेश सिंह	दिनेश सिंह
49	(केन्दन सिंह)	केन्दन सिंह
50	राजे-दास सिंह	राजे-दास सिंह
51	रीना देवी	रीना देवी
52	रमा देवी	रमा देवी
53	गणपत सिंह	गणपत सिंह
54	गोबल सिंह (बुद्ध)	गोबल सिंह
55	राजेश सिंह	राजेश सिंह
56	(कुंवर सिंह)	कुंवर सिंह
57	हरमान सिंह पंवार	हरमान सिंह पंवार
58	पुष्कर सिंह पंवार	पुष्कर सिंह पंवार
59	बारवी देवी	बारवी देवी
60	शिव सिंह	शिव सिंह
61	पद्मा भण्डारी	पद्मा भण्डारी
62	विजय बाल	विजय बाल
63	सुरज भण्डारी	सुरज भण्डारी

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव
दिनांक ०७-०१-१५ को ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्न लिखित सदस्य

उपस्थित हुये



प्रमाणित किया जाता है कि जिनपद-चमोली के
 विकास खण्ड जोशीमठ क्षेत्रांतर्गत न्याय पंचायत
 मुख्या ग्राम डींगे-तपोन के अंतर्गत ग्राम पारवी-द्यूणा-
 पोरवनी-लौली से डींगे तक मोटर मार्ग हेतु 10,00 कि.मी.
 लौ. नि. वि. पानीपद खण्ड जोशीमठ द्वारा निर्माण की
 जाने वाली मोटर सड़क जिसकी चौ. 6 मी. है पर
 प्रभावित नाप भूमि वृक्षों के पातन पर हम समस्त
 ग्राम वासी ग्राम लौली, पोरवनी, द्यूणा को कोई
 आपत्ति नहीं है और उक्त प्रभावित वृक्षों का
 पातन कर उपयोग हम समस्त कालका एवं
 करेगें और उक्त प्रभावित ~~सम~~ पातन होने वाले वृक्षों
 का किसी प्रकार का मुवाजा भी नहीं लेना-चाहे है
 और नहीं मुवाजा प्राप्त होने के कोई दावापेश करेगें,

86 ग्राम प्रधान


सदस्य कांति देवी
 क्षेत्र पंचायत पोखरेड
 विकास खण्ड जोशीमठ
 वि. 0 ख. 0 - जोशीमठ, (चमोली)
 वि. 0 ख. 0 - जोशीमठ, (चमोली)

प्राप्ति
 20/01/2020

Dine
 Ram
 Ram
 Ram

महिला मंगल दल लाली
 पोखरेड नमोका उत्तरांचल

धनरवरी देवी

समस्त ग्रामवासी/कालका
 ग्राम - लौली
 पं. वृ -
 तहसील -

प्र० मुन्ध्यामेन्ती घोषणा के अन्तर्गत पारवी-द्यूणा
- जोखनी - लौजी से वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु
- प्रभावित वृक्षों का पालन कर उपयोग हम समस्त काफ़ीकार
- स्वयं करेंगे,

ह० समस्त ग्रामवासी,
लौजी, जोखनी, द्यूणा,

चन्द्रसिंह
करवागिंह
शजेंद्र सिंह
शशांति
गोविन्दसिंह
राकेश सिंह
बालसिंह
बलदास सिंह
मारायण सिंह
आशीष सिंह
दिनेश सिंह
चन्दन सिंह
सुन्दीप सिंह
विजय सिंह
गाला

मीरु
अमर भण्डारी
दिनेश सिंह
शेखर सिंह
जयसिंह
सदीप भण्डारी

सुमरिंह
दामोदर
नरेश सिंह
महेश सिंह
मुरारी सिंह
दुष्यन्त सिंह
विक्रम सिंह
बेहमल राय
अश्विनी सिंह
दिनेश सिंह
चन्दन सिंह
अमर सिंह
सिंह
महादेव
दिनेश सिंह
जयसिंह

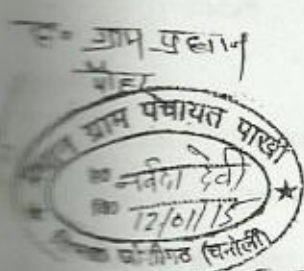
दीपा
दिनेश
दीपा
रमा देवी
मनपत
विक्रम सिंह
अमर सिंह
जयसिंह

(1)

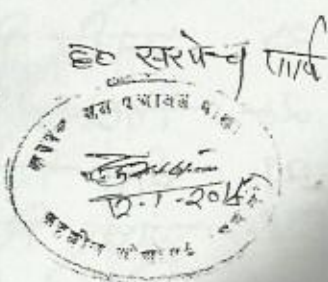
छनापति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पारवी ह्यूना पोखरी व छीम तक प्रस्तावित मैटर मार्ग 10 km. x 7 मी. के खुरी ले-
 13 से 2 तक प्रस्तावित वन भूमि एवं नाप भूमि पर ग्राम पेन्चापत पारवी के कार्तकारों व ग्राम पेन्चापत एवं वसोन्ध वन पेन्चापत को किसी प्रकार से छापित नहीं है तथा भविष्य में विभाग द्वारा जो भी मुतासला सरकारी दसों पर दिया जाना ठीक रहेगा व ग्रामीनों व कार्तकारों को स्वीकार होगा. तथा मुतासला मुस्तान कार्तकारों को कठज, लहसुन व हिल्ला मुस्तान जिसका खेत होगा को किया जाय तथा निर्माण होने वाले मैटर मार्ग पर नव निर्माण कार्य कर ग्रामीण व बेरोजगारों को प्राथमिकता दिया जाय तथा जो नाप भूमि निर्माण कार्य में प्रभु आदि से देगी व हति ग्राह्य होगी का भी ग्रामीण कार्तकारों को देना होगा इन्ही शर्तों को अंग्रेज खत कर ग्रामीनों द्वारा छनापति प्रमाण पत्र के शर्तों में लो. मि. वि. को मान्य करना होगा. छनापति प्रमाण पत्र वैधक में हवनीमत से जारी कर लो. मि. वि. जगदीप खतद जोषेश्वर पुष्पालय जोषी भठ को अग्रिम कार्यवाही हेतु ज्ञेय

30°33'0"N
30°32'0"N
30°31'0"N
30°30'0"N
30°29'0"N

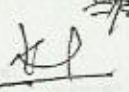
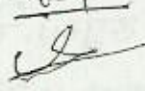
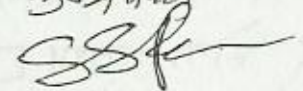


व. न. म. म. म. पारवी
 वि. वि. वि. वि. वि.
 यह आस्था है।



कास्तूरियों के नामावली

(2)

- 1- नन्दा सिंह,
- 2- शोबत सिंह
- 3- श्रीधर सिंह - श्रीधर सिंह
- 4- कर्तार सिंह - 
- 5- दुर्गा सिंह 
- 6- हरीश सिंह
- 7- सुभाष चंद
- 8- आगवती प्रसाद
- 9- अनीता देवी
- 10- प्रीतिश सिंह
- 11- लक्ष्मी सिंह - लक्ष्मी देवी
- 12- सीताब सिंह 
- 13- जोगिंद सिंह -  जोगिनी
- 14- सुभय व रजत
- 15- विजया देवी
- 16- बलवंत सिंह
- 17- बसंत सिंह
- 18- रेखा देवी
- 19- शिवापाल सिंह - शिवापाल सिंह
- 20- साववली सिंह
- 21- विशेश्वर प्रसाद
- 22- टीकाराम (दिवापाल सिंह)
- 23- पूर्ण सिंह
- 24- भरत सिंह - भरत सिंह
- 25- मनवीर सिंह
- 26- विदेह सिंह
- 27- वीर सिंह
- 28- सुख सिंह

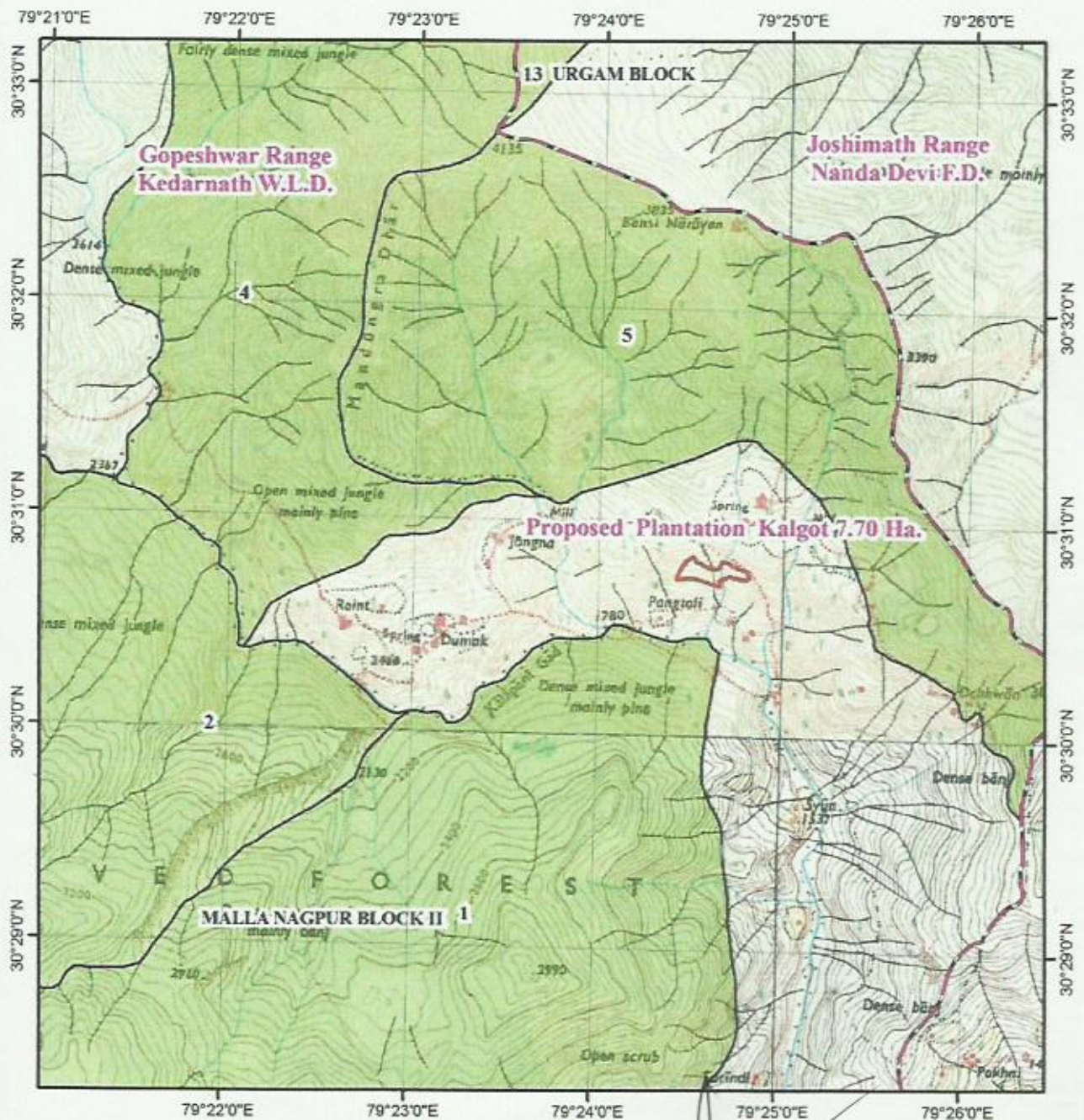
(29) रमेश चंद्र सिंह

(30) विजयवती सिंह

विजयवती सिंह

डिजिटल मैप – जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी – हयूणा – पोखनी – लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल.
(क्षेत्रफल – 7.70 है0)

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

- Proposed Plantation Kalgot 7.70 Ha.
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary

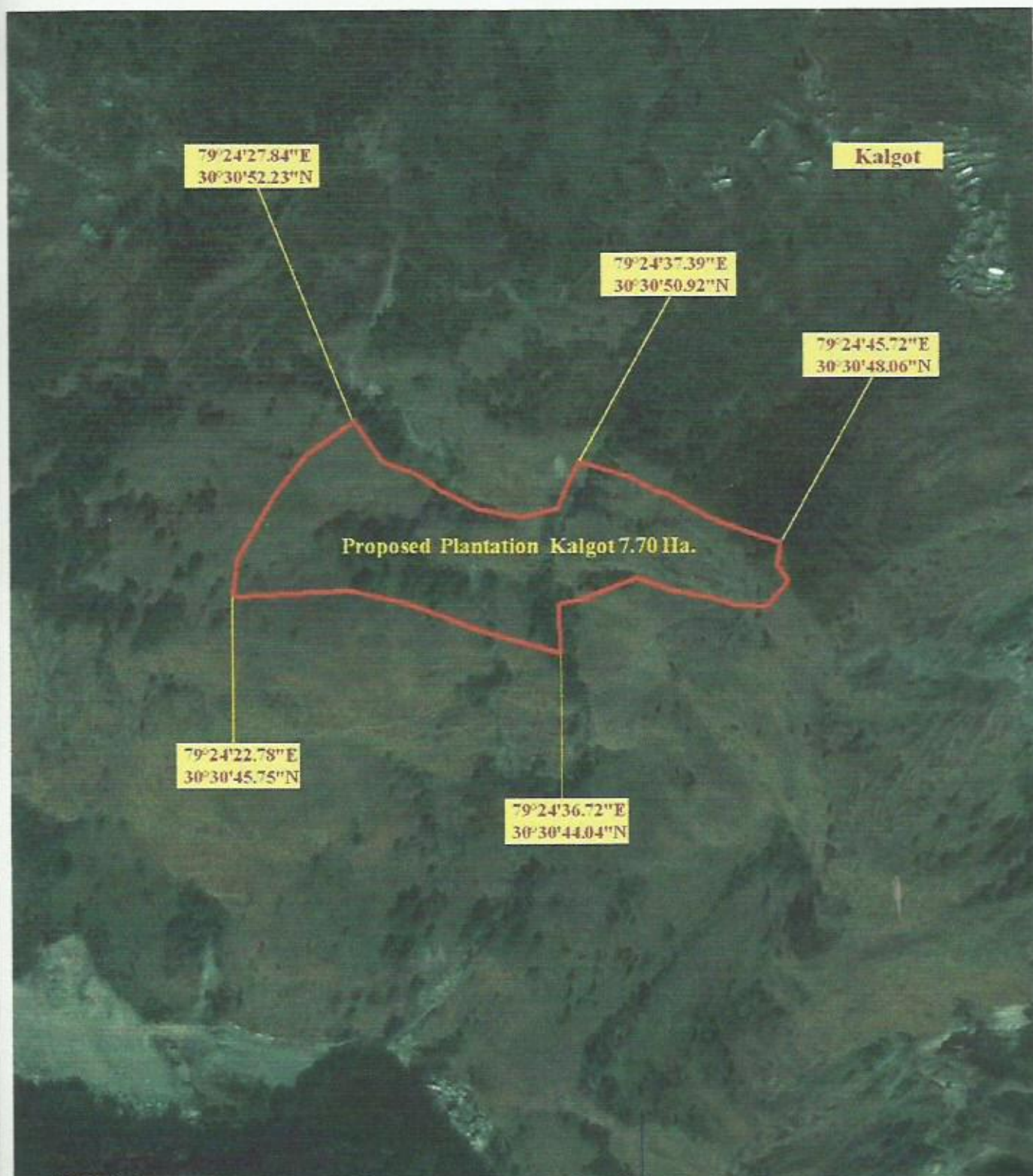
प्रभागीय वन्यधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर



सहायक अभियन्ता
मा० रुण्ड लो० नि० वि०
A.E. गोपेश्वर

अभिजाती अभियन्ता
प्रान्तीय

डिजिटल मैप – जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी – हयूणा
 – पोखनी – लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक
 वृक्षारोपण स्थल. (क्षेत्रफल – 7.70 है०)



Legend



Proposed Plantation Kalgot 7.70 Ha.

सहायक अभियन्ता

प्र० खण्ड लो० नि० वि०

अधिशारी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि.
 गोंयखर

प्रभागीय वनाधिकारी
 बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोंयखर

संख्या-5377/11(2)/13-13(मु0म0च00)/2012

श्रीराम सिंह दत्तल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादून दिनांक: 4 जनवरी, 2013

लोक निर्माण अनुभाग-2

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत विभिन्न 34 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता मा0मा0/मु0से0, लोक निर्माण विभाग पौड़ी/अल्मोड़ा अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न 34 कार्यों के प्रथम चरण के प्रारम्भिक आगणनों, कुल लम्बाई 229.85 किमी0 + 06 सेतु पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 2155.70 लाख (₹ इक्कीस करोड़ पचपन लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् 34 कार्यों हेतु कुल धनराशि ₹ 3.40 लाख (₹ तीन लाख चालीस हजार मात्र) की अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विरलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोद्योगिकी रुल-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/मवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्यय में प्राविधानित परिवर्तन पर लगी गयी धनराशि से किया जायेगा।

photo copy attested

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अनुदान विधि जा रहे कार्या की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व स्व
को होगा।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक
निर्धारित किया जायेगा।

कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 3
अनुदान, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 20
निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22, के अन्तर्गत अलॉटमेंट आई0डी0 सं०:- S121222
0113 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं०- 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया

इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में लोक निर्माण विभा
संख्या-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा
संख्या-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य

सब आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-790/XXVII(2)/2012 दिनांक: 29
समझौते सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संक्षेप पर।

(वीरेन्द्र सिंह
उप सचिव)

(1)/111(2)/13-13(नमोघो0)/2012 तददिनांक।

निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- आयुक्त गढ़वाल/कुनायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुनायू क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड शासन।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।

201

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं निदेशक
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

आज्ञा

(महिला
अनु सचिव)

संख्या - 137/2012-13(नमोघो0)/2012 दिनांक - 30/11/13
इसके अतिरिक्त निम्न लिखित को अवगत
है प्रेषित।
मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि. पौड़ी/अल्मोड़ा
अधीक्षक अभियन्ता लो.नि.वि. पौड़ी/अल्मोड़ा
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
संक्षेप पर।

Photo copy
सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड (लो० नि० वि०)
गोपेश्वर

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखरी-लांजी-द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पर्वतीय एवं सुदूरवर्ती ग्रामों ह्यूणा, लांजी, पोखरी, द्वीग को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 204/12 में राज्य योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या 5377(1)/11(2)/2012-13/मु0मं0घो022012 दि0 14.01.2013 द्वारा 10.00 किमी0 लम्बाई हेतु रु0 126.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई। जिसके विरुद्ध मात्र 3.97 हे0 वनभूमि हस्तान्तरण का यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

इस मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति विकासखण्ड जोशीमठ में पर्वतीय एवं दूरस्थ ग्राम ह्यूणा, लांजी, पोखरी, द्वीग ग्राम हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी है। उक्त संरेखण में ग्रामवासियों की पूर्ण सहमति प्राप्त है।

उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, किन्तु संरेखण नं0 1 इस प्रकार तय किया गया कि इसमें न्यूनतम वन भूमि एवं कम से कम वृक्ष पड़ें साथ ही इस संरेखण के मध्य कोई मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान, धार्मिक स्थल आदि नहीं पड़ते हैं, संरेखण का निरीक्षण भूगर्भवेत्ता द्वारा किया जा चुका है, भूगर्भीय दृष्टि से यह उचित पाया गया है, इस संरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक संरेखण उक्त बिन्दुओं को परिपूर्ण नहीं कर सकता है। क्योंकि संरेखण नं0 2 में अधिक वन सम्पदा का नुकसान होने के साथ ही एच0पी0 बैण्डों की संख्या (10) भी अधिक आ रही है, जिस कारण मार्ग एवं गांव के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः प्रस्तावित संरेखण नं0 1 उपयुक्त है, इस संरेखण में 3.970 हे0 में मक डिस्पोजल को सम्मिलित करते हुये ही भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव गठित किया जा रहा है जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण 7.00 मी0 चौड़ाई में किया जा रहा है, मार्ग का निर्माण 6.00 मीटर चौड़ाई में किया जायेगा तथा इस मार्ग पर पड़ने वाले वृक्षों की गणना 6.00 मी0 चौड़ाई में ही की गयी है, जिसकी सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

अतः 10.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.97 हे0 सिविल/वन पंचायत वनभूमि की आवश्यकता है, जो न्यूनतम है। उक्त वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

X₀₀₂
कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूना-पोखनी-लांजी-झींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 20.06.15.... को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री, वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से, उप राजस्व निरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.00 हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 3.97 हे०, वन पंचायत भूमि 0.00 हे० एवं नाप भूमि 2.47 हे० प्रभावित होती है। मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की चौड़ाई 7.00 मी० ली गई है एवं मार्ग का निर्माण 6.00 मी० चौड़ाई में किया जायेगा। प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनों के चयन हेतु भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 3400 मी० नाप भूमि से, 2200 मी० सिविल भूमि से, 3300 मी० वन पंचायत से 0.00(मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 2.47 हे० नाप भूमि 1.66 हे० सिविल भूमि 2.31 हे० वन पंचायत भूमि 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 3.97 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 267 वृक्ष सिविल भूमि, 212 वृक्ष वन पंचायत में व नापभूमि में 104 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 2650 मी० नाप भूमि से, 2950 मी० सिविल भूमि, 0.00 मी० वन पंचायत से 0.00 (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में 1.855 हे० नाप भूमि, 2.065 हे० सिविल भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, 2.31 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.375 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चुने गये समरेखण का प्रारम्भ होने का स्थल का जी०पी०एस० मान 79°26'27.58" - E, 30°28'8.95" - N है तथा यह स्थल राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 58 के स्थान पाखी में पूर्व निर्मित (वर्तमान में निष्प्रयोज्य) मार्ग से प्रारम्भ होता है, समरेखण का अन्तिम स्थल ग्राम झींग है, जिसका जी०पी०एस० मान 79°27'12.02" - E, 30°29'14.07" - N है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

इस समरेखण पर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु विभिन्न स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 79°26'14.75"E, 30°28'6.54" -N, 79°26'27.29" -E, 30°28'14.92" -N, 79°26'27.12" -E, 30°28'21.79" -N, 79°26'25.98" -E, 30°28'33.74" -N, 79°26'35.60" -E, 30°28'31.15" -N, 79°26'49.47" -E, 30°28'35.05" -N, 79°27'8.77" -E, 30°29'3.52" -N है।

मलवा निस्तारण हेतु डम्पिंग जॉन प्रस्तावित है।

वन विभाग
चमोली डिवीजन

अमीन

सहायक अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता
प्रां० ख० लो० नि०
गोपेश्वर

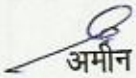
पटवारी क्षेत्र
वि० ख०
तहसील
जिला चमोली

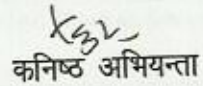
Tahsildar
Johimath

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

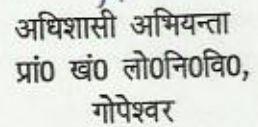
वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु दो संरेखणों पर विचार किया गया, समरेखण नम्बर एक उचित एवं उपयुक्त पाया गया, संरेखण नम्बर दो भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनपयुक्त पाया गया।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

DETAILS IF ALIGNMENT

Name Of Work:

मा० मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र - बद्रीनाथ में पाखी- ह्यूना- लांजी से द्वीग तक मोटर मार्ग के निर्माण का समरेखण प्रस्ताव।

Sanctioned Length:

10.000 KM

Scheme:

State Sector.

Sl. No.	Items	Alignment 1	Alignment 2
Details of Route, vis-à-vis topography of the area			
	Sanction and description of the alignment	G.O. No -5377 / 111(2) / 13-13 / (मु० म० घो०) / 2012 दिनांक 14-1-2013	G.O. No -5377 / 111(2) / 13-13 / (मु० म० घो०) / 2012 दिनांक 14-1-2013
2	Length of the alignment from starting point to terminal point.	10.00	10.00
3	Geometric		
A	Gradient in different stretches of the alignment	1:20 to 1:40 Rise & Fall & level	1:17 to 1:40 Rise & Fall
B	Curves and Hair Pin Bends	10 No	18 No
4	A Terrain and Soil Condition		
1	Geology of the road	Earth & Boulder to VHS	Earth & Boulder to VHS
B	Road Length Passing Through		
1	Cultivated land & Barren land	2.800 KM Naap land 7.200km Forest land	1.150 KM Naap land 8.850 km Forest land
2	Mountainous terrain cross slope from 25° to 60°	10.00 km	10.00 KM
3	Steep terrain cross slope greater than 60°	NIL	1.00 km
4	Rocky stretches with indication in length in loose	NIL	NIL
5	Area subject to avalanches and snow drifts	NIL	NIL
5	Nature of Soil		
1	Length of reaches with Earth & Boulders	30%	20%
2	Length of reaches with Medium Rock / Shale	10%	10%
3	Length of reaches with Hard Rock / Shale	10%	10%
4	Length of reaches with VHR / VHS	50%	60%
6	Bridge Requirements		
A	Major Bridges	60 mtr.	60 mtr.
1	Total Number	1	1
B	Minor Bridges	20 mtr.	20 mtr.
1	Total Number	1	1

Name Of Work:

मा० मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र - बद्रीनाथ में पाखी- ह्यूना- लांझी से डूँग तक मोटर मार्ग के निर्माण का समरेखण प्रस्ताव।

Sanctioned Length:

10.000 KM

Scheme:

State Sector.

Sl. No.	Items	Alignment 1	Alignment 2
7	General elevation of the road indicating maximum and minimum heights negotiated by main ascents and descents	Nil	Nil
	1 Total number of ascents and descents	maximum & minimum heights are 1400.00 mtr & 1295.00 mtr respectively	maximum & minimum heights are 1400.00 mtr & 1295.00 mtr respectively
	2 Heights of Cliffs & Gorges	Nil	Nil
8	Right of way bringing out construction on Account of Built-up Area Mountains and Other		
	Approximate area and value		
	1 Cultivated	2.800 km	1.150 Km.
	2 Irrigated	NIL	NIL
	3 Un-Irrigated	Nil	Nil
	4 Civil Soyam	7.200 KM.	8.850 KM.
	5 Forest Land	Nil	Nil
9	A Existing means of inter communication (Mule Path, Jeep track etc.)	Village Foot Path	Village Foot Path
	B Relation of proposed alignment with existing and under construction roads	This alignment takes from N.H. 58 KM 451 H (0-2) Khud side.	This alignment takes from N.H. 58 KM KM 451 H (0-2) Khud side.
10	A Availability of road construction materials	Available in vicinity, but best position can be known after Hill Side cutting	Available in vicinity, but best position can be known after Hill Side cutting
	B Location of quarries	Expected on the Alignment	Expected on the Alignment
	C Average leads		
11	Facilities & Resources		
	A Landing Ground	Nil	Nil
	B Dropping Zone	Nil	Nil
	C Food Stuffs	Pipalkoti & Joshimath market	Pipalkoti & Joshimath market
	D Labour locally available or need of import	50% labour available locally and rest need to be imported from Nepal	50% labour available locally and rest need to be imported from Nepal
	E Construction materials	Stone Mostly	Stone Mostly
	F Timber, Bamboo, Sand, Shingle, grit etc. extent of their availability & lead involved	Available within 30 to 50 kms.	Available within 30 to 50 kms.
12	Access point indicating possibility of equipment	Chamoli & Joshimath market	Chamoli & Joshimath market

Name Of Work:

PWD TO Srinagar

मा० मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद चमौली के विधानसभा क्षेत्र - बद्रीनाथ में पाखी-
ह्यूना- लांजी से डींग तक मोटर मार्ग के निर्माण का समरक्षण प्रस्ताव।

Sanctioned Length:

10.000 KM

Scheme:

State Sector.

Sl. No.	Items	Alignment 1	Alignment 2
13	Climate Conditions		
A	Temperature Maximum & Minimum	6 C to 20 C	6 C to 20 C
B	Rainfall Data Average Annual Peak intensity, monthly distribution of the available road length covered by Snow (Average and Period)	Average	Average
C	Wind direction & velocity	East to West with Normal velocity	East to West with Normal velocity
D	Fog conditions	In winters	In winters
E	Exposure to sun	Well exposed to sun	Well exposed to sun
F	Drainage Characteristics of the area indicating susceptibility to damage	Good natural drainage, hence maximum susceptibility to drainage	Good natural drainage, hence maximum susceptibility to drainage
14	Length of landslide	NIL	NIL
15	Length of unstable area	NIL	NIL
16	Length of Heavy Clearing	NIL	NIL
17	Length of marshy and flooded areas	NIL	NIL
18	Length of position with loose repose	NIL	NIL
19	Vegetation extent / type	Small Trees with Small Bushes	Small Trees with Small Bushes
20	Period required for constructions	2.00 YEAR	2.00 Year
21	Political Aspect	the area will be connected with district head quarter	the area will be connected with district head quarter
	Benefited Villages	Code No.	Total Population
	Pakhi	72800	246
	Lanji	72900	167
	Dwing	73100	143
22	Village Falling on Terrain		
A	Village on or within		
1	1 Km. of the Alignment	Nil	Nil
2	1 Km. to 10.0 Kms. Of the Alignment	Huna, Pakhi, Lanji	Huna, Pakhi, Lanji
B	Name of Important Village Town, Marketing Centers Other Centers connected	Joshimath, Chamoli	Joshimath, Chamoli
23	Strategic conditions	Nil	Nil
24	Economic & Industrial Consideration	Economic Up Lift of adjoining population	Economic Up Lift of adjoining population
25	Population served by alignment	in future approx	in future approx
26	Recreational potential & Potential for Development of Tourism	Nil	Nil
27	Scope for Agricultural and Horticulture Development	Will Increase	Will Increase
28	Extent of forest wealth	good	normal

Name Of Work:

मा0 मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र - बद्रीनाथ में पाखी- ह्यूना- लांडी से द्वींग तक मोटर मार्ग के निर्माण का समरेखण प्रस्ताव।

Sanctioned Length:

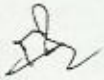
10.000 KM

Scheme:

State Sector.

Sl. No.	Items	Alignment 1	Alignment 2
29	Possibility of development of minor or any other major development projects being taken up (e.g. Hydro Electric Projects)	Nil	Nil
30	Approximate cost of construction of each alignment	460.00 Lacs	460.00 Lacs
31	Merits & Demerits		
	A Merits	No reserv forest involved. alignment is passing through stable area ,	No reserv forest involved. alignment is passing through stable area alignment Accepted by villagers and elected public representatives of the area,
	B Demerits	Nil	Nil
32	Any other useful information viz. Other important projects being taken in the area required for proper completion of the work	Nil	Nil
33	Regarding Old / New Construction	New Construction	New Construction
34	Quarry Position / Location	Expected on Alignment	Expected on Alignment
35	Recommendation of Executive Engineer	Alignment 1 (Shown Red on Contour Map) is Recommended for Sanction	

Order of the Superintending Engineer	
--------------------------------------	--

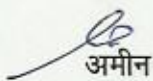
			
Junior Engineer	Assistant Engineer-II	Executive Engineer	Superintending Engineer
	P. Div.P. W. D. Gopeshwar		PWD 7 th Circle Gopeshwar

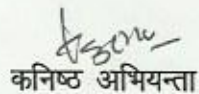
न्यूनतम भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

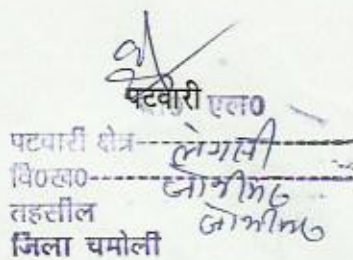
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जो सिविल/वन पंचायत वन भूमि ली गयी है, वह न्यूनतम है तथा लो0नि0वि0 मानक के अनुसार इससे कम भूमि में मार्ग निर्माण सम्भव नहीं है।

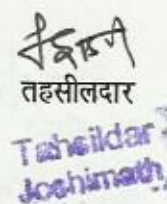

अमीन

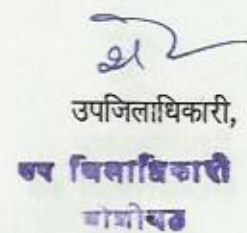

कनिष्ठ अभियन्ता

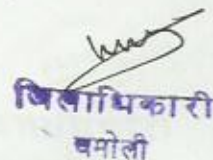

सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर


पटवारी एल0
पटवारी क्षेत्र-लेगसी
वि0खं0-जोशीमठ
तहसील-जोशीमठ
जिला चमोली


तहसीलदार
Tahsildar
Joshimath


उपजिलाधिकारी,
उप जिलाधिकारी
जोशीमठ

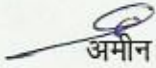

जिलाधिकारी
चमोली

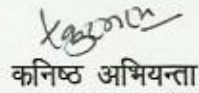
वैकल्पिक भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

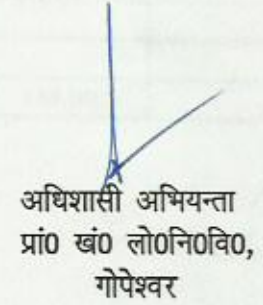
जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

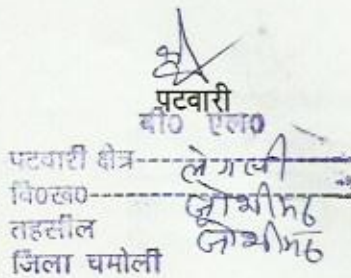
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जिस सिविल, वन पंचायत वनभूमि का चयन किया गया है, इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। यह भूमि केवल मार्ग निर्माण के लिये ही प्रयोग में ली गई है, तथा अन्य सार्वजनिक कार्य में नहीं ली जायेगी।


अमीन

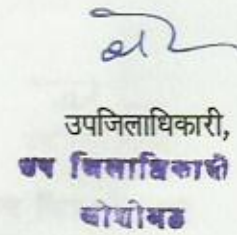

कनिष्ठ अभियन्ता

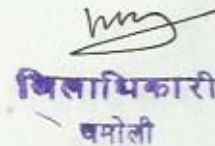

सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर


पटवारी
बो० एल०
पटवारी क्षेत्र
वि०ख०
तहसील
जिला चमोली


तहसीलदार
Tahsil Dar
Joachimath

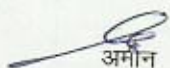

उपजिलाधिकारी,
उप जिलाधिकारी
बोशीमठ

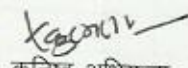

जिलाधिकारी
चमोली

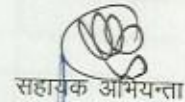
लैण्ड शैड्यूल (सिविल)

कार्य का नाम :- विधानसभा क्षेत्र बदीनाथ में पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी से द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

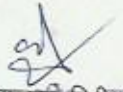
जनपद का नाम	तहसील	ब्लाक	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा हे० में	याचित क्षेत्रफल हे० में
1	2	3	4	5	5
चमोली	चमोली	जोशीमठ	17	140.092	3.970
		योग :-	17	140.092	3.970

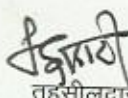

अमीन

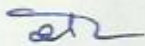

कनिष्ठ अभियन्ता

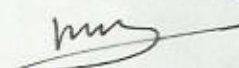

सहायक अभियन्ता

अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


उपराज सिंह निरीक्षक
पटवारी क्षेत्र-लेगसी
वि० ख०-जोशीमठ
तहसील-जोशीमठ
जिला चमोली


तहसीलदार
Tahsildar
Joshi Math


उपजिलाधिकारी,
चमोली
उप विभागाधिकारी
बोधीबठ


जिलाधिकारी
चमोली

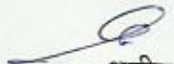
लम्बाई एवं चौड़ाई का प्रमाण पत्र

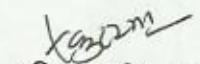
परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-स्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-स्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण में चयनित स्थल हेतु 2.38 हे० नाप, 3.85 हे० सिविल वनभूमि पड़ती है, मार्ग निर्माण हेतु 7.00 मी० चौड़ाई में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है तथा मार्ग का निर्माण 7.00 मी० चौड़ाई में किया जायेगा।

3400 मी० x 7 मी० =	23800 वर्ग मी०	-	2.38 हे० नाप वनभूमि
2200 मी० x 7 मी० =	15400 वर्ग मी०	-	1.54 हे० सिविल वनभूमि
3300 मी० x 7 मी० =	23100 वर्ग मी०	-	2.31 हे० वन पंचायत वनभूमि
मक डिस्पोज		-	0.120 हे० सिविल वन भूमि
मक डिस्पोज		-	0.090 हे० नाप भूमि

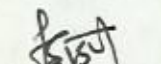

अमीन

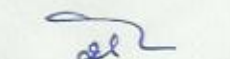

कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशास्ती अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


पटवारी
वि० ख० लो० नि० वि०
तहसील
जिला चमोली

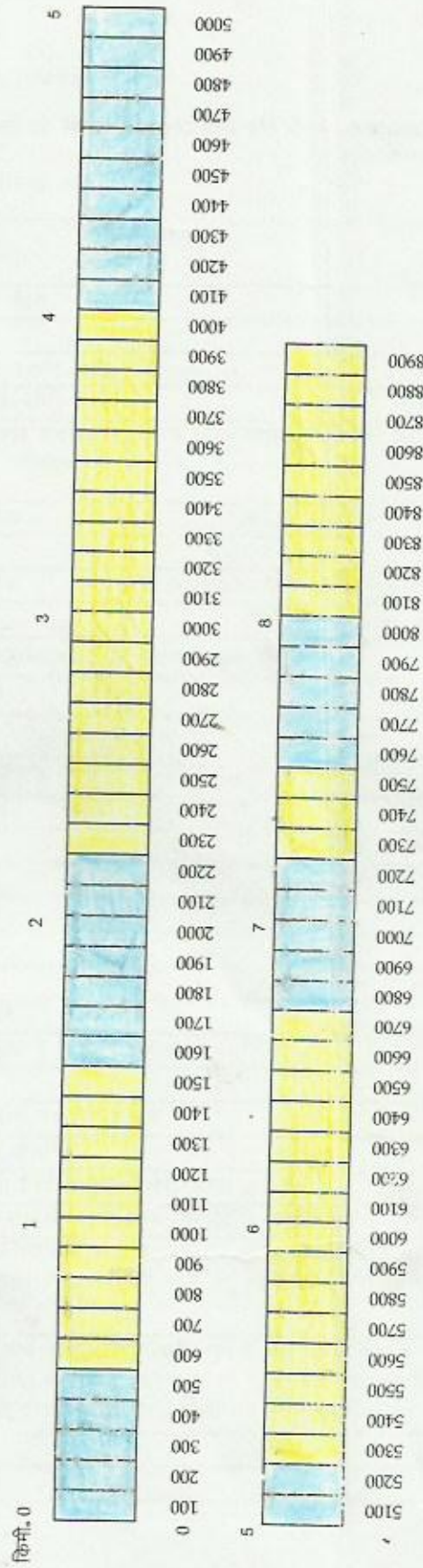

तहसीलदार
Tahsil Dar
Joashimath


उपजिलाधिकारी,
वन विभागाधिकारी
बोधीमठ

प्रभागीय वनाधिकारी
(बोधीमठ वन प्रभाग, चमोली)

बार चार्ट

कार्य का नाम :- विधानसभा क्षेत्र बर्दीनाथ में पाखी-हयूनां-पोखनी -लांजी से द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।



संकेत

सिविल वनभूमि
नाप वन भूमि

सहायक-अभियन्ता

कनिष्ठ अभियन्ता

अधीन

अधिसापी अभियन्ता
प्र.ख. लो.नि.वि.
गोपेश्वर

प्रभागीय वन्याधिकारी
बर्दीनाथ वन्यभाग, गोपेश्वर

क्षतिपूरक वृक्षारोपण

1-परियोजना का नाम- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

2-वृक्षारोपण स्थल का नाम :-

3- क्षेत्रफल :- 3.97 hec x 2= 7.94 hec

4- रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 2000 पौध प्रति है0 - 15880.00

5- रोपित की जाने वाली प्रजातियां :-

क्र0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु0)	योग
1	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य				
1	सर्वे एवं सीमांकन	7.94	है0	115.00	913.10
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	7.94	है0	3730.00	29616.20
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेन्सिंग)	7.94	है0	38637.00	306777.78
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल-खालों का निर्माण एवं अन्य अभियंत्रिक कार्य हेतु प्राविधान				
	1- वानस्थितिक चैकडेम - 5x6725=33625.00	7.94		8233.00	65370.02
	2- स्टोन चैकडेम - 5x6725=33625.00				
	3- वाटर हारवैटिंग टैंक (3x2.50x10)2x7540=15080.00				
	योग :- 82330.00				
5	गड्ढा खुदान कार्य (0.30X0.30X0.45) रेंखाकन वृक्षा सहित	15880	सं0	7.95	126246.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	7.94	है0	915.00	7265.10
7	पौध की कीमत	15880	सं0	6.20	98456.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयन्त्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	7.94	है0	915.00	7265.10
9	अन्य कार्य		ल0 सं0		500.00
	योग - प्रथम चरण				642409.30
2	द्वितीय चरण				
1	गड्ढा भरण (0.30X0.30X0.45)	7.94	गड्ढे	1.42	11.27
2	पौधों का मूल्य	15880	पौधे	1.80	28584.00
3	पौध ढुलान कार्य	15880	पौधे	9.00	142920.00
4	पौध रोपण व थालाबन्दी	15880	पौधे	2.77	43987.60
5	पौधों की निराई - गुड़ाई व मलचिंग (दो बार)	15880	पौधे	1.89	30013.20
6	खाद व दवा पर व्यय	15880	पौधे	1.42	22549.60
7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय 7 माह	7.94	है0	685.00	38072.30
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत				
	सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0		ल0 सं0		1000.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाद के बाहर 4 मी. की पट्टी साफ करना		ल0 सं0		1000.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।			L.S	1000.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलिथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्कूमेंटेशन आदि कार्य			L.S	
10	अन्य कार्य		ल0 सं0		
	योग द्वितीय चरण :-				

क्र.सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य				
1	पौधों की लागत	1588.00	पौधे	8.00	12704.00
2	पौधे बुलान कार्य	1588.00	पौधे	9.00	14292.00
3	पुनः गड्ढा खोदना एवं रोपण कार्य	1588.00	गड्ढे	4.40	6987.20
4	गड्ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	1588.00	गड्ढे	1.95	3096.60
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	1588.00	पौधे	1.63	2588.44
6	कनीकरण बौकीदारी (12 माह) 1 वर्ष	7.94	है०	685.00	65266.80
7	अग्नि संबंधी सुरक्षा कार्य		ल० स०		1000.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०		ल० स०		1000.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना		ल० स०		1000.00
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना			L.S	1000.00
3	अन्य कार्य		ल० स०		1000.00
	योग				109935.04
वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	7.94	है०	685.00	65266.80
2	अन्य कार्य		ल० स०		1000.00
	योग				66266.80
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	7.94	है०	685.00	65266.80
2	अन्य कार्य		ल० स०		1000.00
	योग				66266.80
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	7.94	है०	685.00	65266.80
2	अन्य कार्य		ल० स०		1000.00
	योग				66266.80
वृक्षारोपण का पंचम वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	7.94	है०	685.00	65266.80
2	अन्य कार्य		ल० स०		500.00
	योग				65766.80
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	7.94	है०	685.00	65266.80
2	अन्य कार्य		ल० स०		1000.00
	योग				66266.80
वृक्षारोपण का सातवें वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	7.94	है०	685.00	65266.80
2	अन्य कार्य		ल० स०		1000.00
	योग				66266.80
वृक्षारोपण का आठवें वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त आठवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	7.94	है०	685.00	65266.80
2	अन्य कार्य		ल० स०		1000.00
	योग				66266.80
वृक्षारोपण का नौवें वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नौवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	7.94	है०	685.00	65266.80
2	अन्य कार्य		ल० स०		1000.00
	योग				66266.80
वृक्षारोपण का दसवें वर्ष का रखरखाव					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त दसवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य 1 वर्ष	7.94	है०	685.00	65266.80
2	अन्य कार्य		ल० स०		1000.00
	योग				66266.80
	कुल योग :-				149935.04

प्रभागीय वनाधिकारी
वद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर

A hand-drawn sketch of a mountain profile. The profile is drawn with two parallel lines, one slightly above the other, representing the mountain's silhouette. A dashed vertical line is drawn from the base to the peak, indicating a specific point of interest or a cross-section. The drawing is on a piece of lined paper.

9825

50

$$225 - 2 = 147$$

23

प्राप्ति क्र. 2510
दिनांक 07/01/2018

102201-01

6-2115

05/03/2016

सूचना देवपुर

गाम बरगागा 16 रा 0 डिग्री 0 2 10 11 ता 15 सीला जोडेमि 6 डि 0 चमोली

1423	4.000	16	30 200 सीला -भीरा	-भीरा 4.000
1425	0.181	16	30 200 सीला -भीरा	-भीरा 0.181

नोट देवपुर 1423 रकम 4.000 म 8 म 3.930 देवपुर देवपुर 1425 रकम 0.181
मु 3.911 देवपुर 2 डि डिग्री डिग्री नोट गम,

बो 10 एल 0

पटवारी क्षेत्र-देवपुर

वि 0 2 10 11

तहसील

जिला चमोली

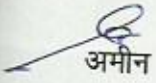
5/3/2016

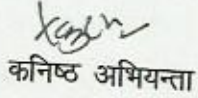
वैकल्पिक भूमि का प्रमाण पत्र

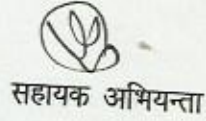
परियोजना का नाम :-

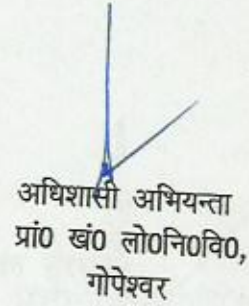
जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट एवं सुलभ शौचालय निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

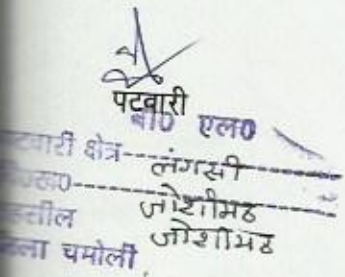
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत गोविन्दघाट-घांघरिया-हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट एवं सुलभ शौचालय निर्माण हेतु जिस सिविल, वन पंचायत वनभूमि का चयन किया गया है, इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। यह भूमि केवल उपरोक्त निर्माण के लिये ही प्रयोग में ली गई है, तथा अन्य सार्वजनिक कार्य में नहीं ली जायेगी।

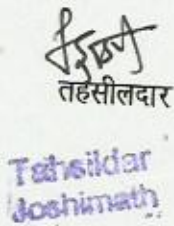

अमीन

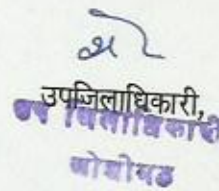

कनिष्ठ अभियन्ता

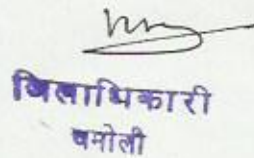

सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


पटवारी
प्रां० एल०
पटवारी क्षेत्र-लंगरानी
जोशीमठ
जोशीमठ
चमोली


तहसीलदार
Tahsildar
Joshimath


उपजिलाधिकारी,
चमोली


जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत
पाखी-स्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल उपयुक्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के
विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-स्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु
वनभूमि हस्तान्तरण हेतु ... कलगीठ ... में 7.97 हे० सिविल भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु
उपयुक्त स्थल है।

वन क्षेत्राधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी

चमोली जेम्स

बद्रीनाथ वन प्रभार गोपेश्वर

उपवन संरक्षक

प्रभागीय वनाधिकारी

बद्रीनाथ वन प्रभार, गोपेश्वर

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घो-णान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम गौणा में 3.85 हेक्टेयर सिविल/ वन पंचायत वनभूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.120 हेक्टेयर वनभूमि इस प्रकार कुल 3.97 हेक्टेयर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो स्थल चयन किया गया है, वह उपयुक्त है।

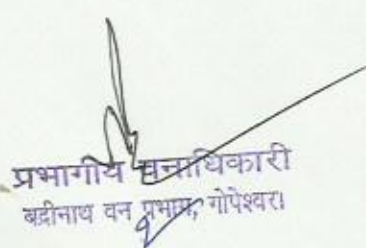

वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
चमोली देव
क्षतिपूरक वन प्रभाग गोपेश्वर


उपवन संरक्षक
प्रमाणित वनक्षेत्राधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

रिक्त पड़े स्थान पर वृक्षारोपण प्राक्कलन

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्थल का नाम	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित हेक्टेयर से किमी.	प्रस्तावित रोपण कार्य का विवरण	दर प्रति किमी. लाख में	धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5
जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण	3.97	पौधे का मूल्य - 100 पौधे रोपण कार्य, श्री गार्ड का ढुलान मूल्य एवं तीन वर्षों तक अनुरक्षण	2.00	7.94


 प्रभागीय वृक्षारोपण अधिकारी
 बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।


 प्रभागीय वृक्षारोपण अधिकारी
 चमोली देव
 बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

सीमांकन प्राक्कलन

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉलित्त धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गंगेश्वर

पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग मोटर मार्ग 7.00 किमी० लम्बाई × 7.00 मी० चौड़ाई के निर्माण में प्रभावित वृक्षों की मूल्य सूची

भूगना क्रमांक	भूमि का प्रकार	प्रजाति व किस्म	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग	संख्या	दर	धनराशि	
	1	2	3	4	5	6	7	
क्र० सं० 1 से 36 तक-36	पाखी नापभूमि	तिमला हरा खड़ा	Ficus roxburghii	0-10	2	50.00	100.00	
				10-20	1	80.00	80.00	
				20-30	2	160.00	320.00	
				30-40	1	390.00	390.00	
				Sub Total		6		890.00
		छाँछरी हरा खड़ा		0-10	1	50.00	50.00	
				Sub Total		1		50.00
		उत्तीस हरा खड़ा	Alnus neplensis	20-30	1	330.00	330.00	
				Sub Total		1		330.00
		कठमहवा हरा खड़ा	Glochidion velutinum	0-10	10	50.00	500.00	
				10-20	6	80.00	480.00	
				Sub Total		16		980.00
		चमखड़ीक हरा खड़ा	Carpinus viminea	10-20	1	550.00	550.00	
				Sub Total		1		550.00
		रोहिणी हरा खड़ा	Meloius philipinensis	0-10	4	50.00	200.00	
				Sub Total		4		200.00
		बेड़ू हरा खड़ा	Ficus palmate	0-10	1	50.00	50.00	
				Sub Total		1		50.00
		चीड़ हरा खड़ा	Pinus roxburghii	0-10	3	90.00	270.00	
				50-60	2	8565.00	17130.00	
				Sub Total		5		17400.00
		खैणा हरा खड़ा	Ficus semichordata	10-20	1	80.00	80.00	
				Sub Total		1		80.00
		Total		36		20530.00		
क्र० सं० 37 से 133 तक-97	पाखी सिविल	तिमला हरा खड़ा	Ficus roxburghii	0-10	2	50.00	100.00	
				10-20	1	80.00	80.00	
				20-30	4	160.00	640.00	
				30-40	2	390.00	780.00	
				Sub Total		9		1600.00
		कठमहवा हरा खड़ा	Glochidion velutinum	0-10	12	50.00	600.00	
				10-20	18	80.00	1440.00	
				20-30	15	160.00	2400.00	
				30-40	4	390.00	1560.00	
				40-50	3	630.00	1890.00	
				Sub Total		52		7890.00
		चमखड़ीक हरा खड़ा	Carpinus viminia	10-20	3	550.00	1650.00	
				Sub Total		3		1650.00
		रोहिणी हरा खड़ा	Meloius philipinensis	0-10	2	50.00	100.00	
				10-20	1	80.00	80.00	
				Sub Total		3		180.00
चीड़ हरा खड़ा	Pinus roxburghii	0-10	1	90.00	90.00			

गणना क्रमांक	भूमि का प्रकार	प्रजाति व किस्म	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग	संख्या	दर	धनराशि
	1	2	3	4	5	6	7
				10-20	2	240.00	480.00
				20-30	1	600.00	600.00
				30-40	1	2330.00	2330.00
			Sub Total		5		3500.00
		सीरस हरा खड़ा	<i>Albizia lebbek</i>	0-10	3	50.00	150.00
				10-20	1	80.00	80.00
				30-40	1	390.00	390.00
			Sub Total		5		620.00
		दालचीनी हरा खड़ा	<i>Cinnemomum tamala</i>	0-10	4	50.00	200.00
			Sub Total		4		200.00
		सांदण हरा खड़ा	<i>Ozinia Oozinensis</i>	0-10	1	50.00	50.00
			Sub Total		1		50.00
		कलमिना हरा खड़ा		10-20	1	80.00	80.00
				30-40	1	390.00	390.00
			Sub Total		2		470.00
		खैणा हरा खड़ा	<i>Ficus semichordata</i>	0-10	1	50.00	50.00
			Sub Total		1		50.00
		बांज हरा खड़ा	<i>Quercus leucotrichophora</i>	0-10	9	50.00	450.00
			Sub Total		9		450.00
		बैरा बांज		10-20	1	50.00	50.00
				30-40	1	390.00	390.00
				50-60	1	780.00	780.00
			Sub Total		3		1220.00
			Total		97		17880.00
क्र० सं० 134 से 239 तक तक-106	पोखरी सिविल ह्यूणा में	तिलखा हरा खड़ा		10-20	1	80.00	80.00
			Sub Total		1		80.00
		आंवला हरा खड़ा	<i>Phyllanthus emblica</i>	0-10	5	50.00	250.00
				10-20	8	80.00	640.00
				20-30	5	160.00	800.00
			Sub Total		18		1690.00
		तिमला हरा खड़ा	<i>Ficus roxburghii</i>	0-10	4	50.00	200.00
				10-20	1	80.00	80.00
				20-30	3	160.00	480.00
				30-40	3	390.00	1170.00
			Sub Total		11		1930.00
		कठमहवा हरा खड़ा	<i>Glochidion velutinum</i>	0-10	3	50.00	150.00
				10-20	1	80.00	80.00
			Sub Total		4		230.00
		रोहिणी हरा खड़ा	<i>Melolus philipinensis</i>	10-20	1	80.00	80.00
				20-30	1	160.00	160.00
			Sub Total		2		240.00
		खड़ीक हरा खड़ा	<i>Celtis australis</i>	10-20	1	80.00	80.00
				20-30	1	160.00	160.00
			Sub Total		2		240.00
		सांदण हरा खड़ा	<i>Ozinia Oozinensis</i>	0-10	1	50.00	50.00

गणना क्रमांक	भूमि का प्रकार	प्रजाति व किस्म	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग	संख्या	दर	धनराशि	
	1	2	3	4	5	6	7	
				10-20	2	80.00	160.00	
				20-30	4	160.00	640.00	
				Sub Total		7		850.00
		कलमिना हरा खड़ा		0-10	5	50.00	250.00	
				10-20	12	80.00	960.00	
				20-30	7	160.00	1120.00	
				30-40	1	390.00	390.00	
				Sub Total		25		2720.00
		खैणा हरा खड़ा	<i>Ficus semichordata</i>	20-30	1	160.00	160.00	
			Sub Total		1		160.00	
		बैरा बांज		0-10	1	50.00	50.00	
				10-20	10	80.00	800.00	
				20-30	8	160.00	1280.00	
				30-40	4	390.00	1560.00	
				Sub Total		23		3690.00
		गैंठी हरा खड़ा	<i>Boehmeria rugulosa</i>	10-20	2	80.00	160.00	
				20-30	4	160.00	640.00	
				40-50	2	630.00	1260.00	
				Sub Total		8		2060.00
		सेमल हरा खड़ा	<i>Bombex ceiba</i>	10-20	1	190.00	190.00	
			Sub Total		1		190.00	
		तुन हरा खड़ा	<i>Cedrela toona</i>	0-10	1	75.00	75.00	
				20-30	1	1160.00	1160.00	
				30-40	1	3320.00	3320.00	
				Sub Total		3		4555.00
				Total		106		18635.00
क्र० सं० 240 से 241, 253 से 263, 429 से 472 -57	पोखनी नापभूमि	कचनार हरा खड़ा	<i>Bauhinia veriegata</i>	20-30	1	160.00	160.00	
			Sub Total		1		160.00	
		आंवला हरा खड़ा	<i>Phyllanthus emblica</i>	0-10	1	50.00	50.00	
			Sub Total		1		50.00	
		तुन हरा खड़ा	<i>Cedrela toona</i>	60-70	1	10380.00	10380.00	
			Sub Total		1		10380.00	
		गैंठी हरा खड़ा	<i>Boehmeria rugulosa</i>	30-40	2	390.00	780.00	
			Sub Total		2		780.00	
		छांछरी हरा खड़ा		10-20	1	80.00	80.00	
				20-30	1	160.00	160.00	
				Sub Total		2		240.00
		खैणा हरा खड़ा	<i>Ficus semichordata</i>	10-20	3	80.00	240.00	
			Sub Total		3		240.00	
		तिमला हरा खड़ा	<i>Ficus roxburghii</i>	10-20	2	80.00	160.00	
				20-30	4	160.00	640.00	
				30-40	2	390.00	780.00	
				40-50	1	630.00	630.00	
				Sub Total		9		2210.00
		काकड़ा हरा खड़ा	<i>Pistesia chinensis</i>	10-20	1	80.00	80.00	

गणना क्रमांक	भूमि का प्रकार	प्रजाति व किस्म	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग	संख्या	दर	घनराशि
	1	2	3	4	5	6	7
				20-30	1	160.00	160.00
				30-40	1	390.00	390.00
				50-60	1	780.00	780.00
			Sub Total		4		1410.00
		सांदण हरा खड़ा	<i>Ozinia Oozinensis</i>	20-30	1	160.00	160.00
			Sub Total		1		160.00
		बकैल हरा खड़ा	<i>Melia azedarach</i>	10-20	2	145.00	290.00
				40-50	2	596.00	1192.00
				50-60	3	1030.00	3090.00
			Sub Total		7		4572.00
		भीमल हरा खड़ा	<i>Grewia oppositifolia</i>	10-20	2	80.00	160.00
				20-30	2	160.00	320.00
				30-40	2	390.00	780.00
				40-50	3	630.00	1890.00
			Sub Total		9		3150.00
		कलमिना हरा खड़ा		10-20	7	80.00	560.00
				20-30	4	160.00	640.00
				30-40	1	390.00	390.00
			Sub Total		12		1590.00
		सीरस हरा खड़ा	<i>Albizia lebbek</i>	30-40	1	390.00	390.00
			Sub Total		1		390.00
		खड़ीक हरा खड़ा	<i>Celtis australis</i>	20-30	1	160.00	160.00
			Sub Total		1		160.00
		बेड़ू हरा खड़ा	<i>Ficus palmate</i>	10-20	1	80.00	80.00
			Sub Total		1		80.00
		अखरोट हरा खड़ा	<i>Juglens regia</i>	20-30	1	960.00	960.00
			Sub Total		1		960.00
		कठमहवा हरा खड़ा	<i>Glochidion velutinum</i>	10-20	1	80.00	80.00
			Sub Total		1		80.00
			Total		57		26612.00
क्र० सं० 242 से 252, 264 से 273 तक-21	पोखनी सिविल	कचनार हरा खड़ा	<i>Bauhinia veriegata</i>	10-20	2	80.00	160.00
			Sub Total		2		160.00
		आंवला हरा खड़ा	<i>Phyllanthus emblica</i>	20-30	1	160.00	160.00
			Sub Total		1		160.00
		रोहिणी हरा खड़ा	<i>Melotus philipinensis</i>	30-40	1	390.00	390.00
			Sub Total		1		390.00
		तुन हरा खड़ा	<i>Cedrela toona</i>	50-60	1	8550.00	8550.00
				70-80	1	14860.00	14860.00
			Sub Total		2		23410.00
		गैंटी हरा खड़ा	<i>Boehmeria rugulosa</i>	30-40	1	390.00	390.00
			Sub Total		1		390.00
		तिमला हरा खड़ा	<i>Ficus roxburghii</i>	30-40	1	390.00	390.00
			Sub Total		1		390.00
		काकड़ा हरा खड़ा	<i>Pisiesia chinensis</i>	20-30	1	160.00	160.00
			Sub Total		1		160.00

गणना क्रमांक	भूमि का प्रकार	प्रजाति व किस्म	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग	संख्या	दर	घनराशि
	1	2	3	4	5	6	7
		सांदण हरा खड़ा	<i>Ozinia Oozinensis</i>	20-30	1	160.00	160.00
		Sub Total			1		160.00
		बकैन हरा खड़ा	<i>Melia azedarach</i>	10-20	1	145.00	145.00
				20-30	1	225.00	225.00
		Sub Total			2		370.00
		कलमिना हरा खड़ा		10-20	2	80.00	160.00
				20-30	3	160.00	480.00
				30-40	1	390.00	390.00
		Sub Total			6		1030.00
		खड़ीक हरा खड़ा	<i>Celtis australis</i>	20-30	1	160.00	160.00
		Sub Total			1		160.00
		पिलखन हरा खड़ा		10-20	1	80.00	80.00
		Sub Total			1		80.00
		धौला हरा खड़ा	<i>Arithryna suverosa</i>	10-20	1	80.00	80.00
		Sub Total			1		80.00
		Total			21		26940.00
क्र० सं० 274 से 428, 473 से 529 तक-212	रिपब्लिक पोखरी	चीड़ हरा खड़ा	<i>Pinus roxburghii</i>	0-10	14	90.00	1260.00
				10-20	29	240.00	6960.00
				20-30	37	600.00	22200.00
				30-40	26	2330.00	60580.00
				40-50	5	5070.00	25350.00
				50-60	1	8565.00	8565.00
		Sub Total			112		124915.00
		सुरई हरा खड़ा	<i>Cupressus torulosa</i>	10-20	1	130.00	130.00
		Sub Total			1		130.00
		तिमला हरा खड़ा	<i>Ficus roxburghii</i>	0-10	4	50.00	200.00
				10-20	10	80.00	800.00
				20-30	5	160.00	800.00
				40-50	1	630.00	630.00
		Sub Total			20		2430.00
		काकड़ा हरा खड़ा	<i>Pistesia chinensis</i>	10-20	2	80.00	160.00
				20-30	1	160.00	160.00
		Sub Total			3		320.00
		कचनार हरा खड़ा	<i>Bauhinia veriegata</i>	0-10	1	50.00	50.00
				10-20	1	80.00	80.00
		Sub Total			2		130.00
		खैणा हरा खड़ा	<i>Ficus semichordata</i>	10-20	5	80.00	400.00
				20-30	2	160.00	320.00
				30-40	1	390.00	390.00
		Sub Total			8		1110.00
		कठमहवा हरा खड़ा	<i>Glochidion velutinum</i>	0-10	3	50.00	150.00
				10-20	15	80.00	1200.00
				20-30	1	160.00	160.00
		Sub Total			19		1510.00
		खैर हरा खड़ा	<i>Acacia catechu</i>	0-10	1	105.00	105.00

गणना क्रमांक	भूमि का प्रकार	प्रजाति व किस्म	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग	संख्या	दर	घनराशि
	1	2	3	4	5	6	7
			Sub Total		1		105.00
		तुन हरा खड़ा	<i>Cedrela toona</i>	0-10	3	75.00	225.00
				10-20	7	190.00	1330.00
				20-30	1	1160.00	1160.00
			Sub Total		11		2715.00
		गैली हरा खड़ा	<i>Boehmeria rugulosa</i>	0-10	3	50.00	150.00
				10-20	9	80.00	720.00
				20-30	1	160.00	160.00
				30-40	1	390.00	390.00
				40-50	1	630.00	630.00
			Sub Total		15		2050.00
		बांज हरा खड़ा	<i>Quercus leucotrichophora</i>	0-10	1	50.00	50.00
				10-20	1	145.00	145.00
			Sub Total		2		195.00
		शीरस हरा खड़ा	<i>Albizia lebbek</i>	10-20	1	80.00	80.00
				20-30	2	160.00	320.00
				40-50	2	630.00	1260.00
			Sub Total		5		1660.00
		खड़ीक हरा खड़ा	<i>Celtis australis</i>	0-10	2	50.00	100.00
				30-40	1	390.00	390.00
			Sub Total		3		490.00
		कलमिना हरा खड़ा		0-10	2	50.00	100.00
				10-20	4	80.00	320.00
				20-30	1	160.00	160.00
			Sub Total		7		580.00
		सुबबूल हरा खड़ा		0-10	1	50.00	50.00
				10-20	1	80.00	80.00
			Sub Total		2		130.00
		सेमल हरा खड़ा	<i>Bombex ceiba</i>	20-30	1	1160.00	1160.00
			Sub Total		1		1160.00
			Total		212		139630.00
क्र० सं० 543 से 553 तक-11	लांजी नापभूमि	बकैन हरा खड़ा	<i>Melia azedarach</i>	20-30	1	225.00	225.00
				30-40	1	354.00	354.00
			Sub Total		2		579.00
		भीमल हरा खड़ा	<i>Grewia oppositifolia</i>	0-10	2	50.00	100.00
				10-20	1	80.00	80.00
				20-30	1	160.00	160.00
				40-50	1	630.00	630.00
				50-60	1	780.00	780.00
			Sub Total		6		1750.00
		कठमहवा हरा खड़ा	<i>Glochidion velutinum</i>	0-10	1	50.00	50.00
				20-30	2	160.00	320.00
			Sub Total		3		370.00
		योग -	Total		11		2699.00
क्र० सं० 530	लांजी सिविल	चीड़ हरा खड़ा	<i>Pinus roxburghii</i>	0-10	4	90.00	360.00

गणना क्रमांक	भूमि का प्रकार	प्रजाति व किस्म	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग	संख्या	दर	धनराशि
	1	2	3	4	5	6	7
से 542, 554 से 583 तक-43				10-20	4	240.00	960.00
				20-30	2	600.00	1200.00
				30-40	1	2330.00	2330.00
			Sub Total		11		4850.00
		तिमला हरा खड़ा	<i>Ficus roxburghii</i>	0-10	1	50.00	50.00
				10-20	4	80.00	320.00
				20-30	5	160.00	800.00
				30-40	1	390.00	390.00
			Sub Total		11		1560.00
		काकड़ा हरा खड़ा		10-20	1	80.00	80.00
			Sub Total		1		80.00
		बकैन हरा खड़ा	<i>Melia azedarach</i>	10-20	1	145.00	145.00
			Sub Total		1		145.00
		कैल हरा खड़ा	<i>Pirus vellichiana</i>	0-10	1	105.00	105.00
			Sub Total		1		105.00
		कलमिना हरा खड़ा		0-10	3	50.00	150.00
				10-20	2	80.00	160.00
				20-30	2	160.00	320.00
				30-40	1	390.00	390.00
			Sub Total		8		1020.00
		अखरोट हरा खड़ा	<i>Juglens regia</i>	0-10	2	75.00	150.00
			Sub Total		2		150.00
		जैकरेण्डा हरा खड़ा	<i>Jekrenda Mymocepholia</i>	0-10	4	50.00	200.00
				10-20	1	80.00	80.00
			Sub Total		5		280.00
		रोहिणी हरा खड़ा	<i>Melotus philipinensis</i>	0-10	1	50.00	50.00
			Sub Total		1		50.00
		गैठी हरा खड़ा	<i>Boehmeria rugulosa</i>	20-30	2	160.00	320.00
			Sub Total		2		320.00
			Total		43		8560.00
			G. Total		583		261486.00

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

**पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वीग मोटर मार्ग 10 किमी0×7 मी0 = 7 है0 वन भूमि पर
प्रभावित वृक्ष गणना का संयुक्त गोश्वारा**

क्र0 सं0	प्रजातिवार विवरण	व्यास वार वृक्षों की संख्या											अभ्युक्ति
		0-10 Sapling	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर	योग	
1	तिमला	14	19	25	10	02	-	-	-	-	-	70	-
2	छाछरी	01	01	01	-	-	-	-	-	-	-	03	-
3	उतीस	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-
4	कठमहुवा	28	41	16	04	03	-	-	-	-	-	92	-
5	चमखड़ीक	-	04	-	-	-	-	-	-	-	-	04	-
6	रोहिणी	07	02	01	01	-	-	-	-	-	-	11	-
7	बेड़ू	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	02	-
8	कैल	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-
9	चीड़	22	35	40	28	05	03	-	-	-	-	133	-
10	खैणा	01	09	03	01	-	-	-	-	-	-	14	-
11	तिलखा	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-
12	कचनार	01	03	01	-	-	-	-	-	-	-	05	-
13	पिलखन	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-
14	घोला	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-
15	जैकरण्डा	04	01	-	-	-	-	-	-	-	-	05	-
16	सुरई	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-
17	खड़ीक	02	01	03	01	-	-	-	-	-	-	07	-
18	आंवला	06	08	06	-	-	-	-	-	-	-	20	-
19	सेमल	-	01	01	-	-	-	-	-	-	-	02	-
20	भीमल	02	03	03	02	04	01	-	-	-	-	15	-
21	सीरस	03	02	-	04	02	-	-	-	-	-	11	-
22	अखरोट	02	-	01	-	-	-	-	-	-	-	03	-
23	काकड़	-	04	03	01	-	01	-	-	-	-	09	-
24	दालचीनी	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04	-
25	बकैन	-	04	02	-	03	03	-	-	-	-	12	-
26	सादण	02	02	06	-	-	-	-	-	-	-	10	-
27	खैर	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-
28	कलभिना	10	28	17	05	-	-	-	-	-	-	60	-
29	बांज	10	01	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
30	सुबबूल	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	02	-
31	बैरा बांज	01	11	08	05	-	01	-	-	-	-	26	-
32	गैदी	03	11	07	04	03	-	-	-	-	-	28	-
33	तुन	04	07	02	01	-	01	01	01	-	-	17	-
	योग :-	132	203	147	67	22	10	01	01	-	-	583	-

यदि वृक्ष पातन मानकों से अधिक हो रहा है तो याचक विभाग सड़क निर्माण के समय 132 पौध Sapling को Replacement कर पातन वृक्षों में न्यूनता ला सकता है। जो कार्य कि याचक विभाग को ही स्वयं करना होगा क्योंकि 132 पौध Sapling 0-10 व्यास श्रेणी के हैं। तथा 10-20 से ऊपर के सभी वृक्षों में लाल पेन्ट से गणना क्रमिक इनिशियल किया गया है। व संरेखण को याचक विभाग द्वारा चूना से 7 मी0 चौड़ाई पर संरेखित किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वरा

9

पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-ट्रींग मोटर मार्ग 7.00 किमी० लम्बाई x 7.00 मी० चौड़ाई के निर्माण में प्रभावित वृक्षों की गणना सूची

गणना क्रमांक	वृक्ष गणना		व्यासवार वृक्ष गणना											योग	भूमि प्रकार
	प्रजाति	किस्म	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 over			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1 से 36 तक-36	तिमला	हरा खड़ा	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	6	पाखी नापभूमि	
	छाछरी	हरा खड़ा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	उत्तीस	हरा खड़ा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
	कठमहुवा	हरा खड़ा	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	16		
	चमखड़ीक	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	रोहिणी	हरा खड़ा	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
	वेडू	हरा खड़ा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	चीड़	हरा खड़ा	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5		
	खैणा	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	योग	21	9	3	1	0	2	0	0	0	0	0	36		
37 से 133 तक-97	तिमला	हरा खड़ा	2	1	4	2	0	0	0	0	0	0	9	पाखी सिविल	
	कठमहुवा	हरा खड़ा	12	18	15	4	3	0	0	0	0	0	52		
	चमखड़ीक	हरा खड़ा	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
	रोहिणी	हरा खड़ा	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
	चीड़	हरा खड़ा	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	5		
	सीरस	हरा खड़ा	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5		
	दालचीनी	हरा खड़ा	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
	सांदण	हरा खड़ा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	कलमिना	हरा खड़ा	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2		
	खैणा	हरा खड़ा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	बांज	हरा खड़ा	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9		
	बैरा बांज	हरा खड़ा	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3		
	योग	35	28	20	10	3	1	0	0	0	0	97			
134 से 239 तक-106	तिलखा	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	पोखनी सिविल ह्यूणा में	
	आंवला	हरा खड़ा	5	8	5	0	0	0	0	0	0	0	18		
	तिमला	हरा खड़ा	4	1	3	3	0	0	0	0	0	0	11		
	कठमहुवा	हरा खड़ा	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
	रोहिणी	हरा खड़ा	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
	खड़ीक	हरा खड़ा	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
	सांदण	हरा खड़ा	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	7		
	कलमिना	हरा खड़ा	5	12	7	1	0	0	0	0	0	0	25		
	खैणा	हरा खड़ा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
	बैरा बांज	हरा खड़ा	1	10	8	4	0	0	0	0	0	0	23		
	गैँठी	हरा खड़ा	0	2	4	0	2	0	0	0	0	0	8		
	सेमल	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	तुन	हरा खड़ा	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3		
	योग	20	40	35	9	2	0	0	0	0	0	106			
240 से 241, 253 से 263, 429 से 472 तक-57	कचनार	हरा खड़ा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	पोखनी नापभूमि	
	आंवला	हरा खड़ा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	तुन	हरा खड़ा	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
	गैँठी	हरा खड़ा	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2		
	छाछरी	हरा खड़ा	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
	खैणा	हरा खड़ा	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3		

गणना क्रमांक	वृक्ष गणना		व्यासवार वृक्ष गणना											योग	भूमि प्रकार
	प्रजाति	किस्म	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 over			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	तिमला	हरा खड़ा	0	2	4	2	1	0	0	0	0	0	9		
	काकड़ा	हरा खड़ा	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	4		
	सांदण	हरा खड़ा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
	बकैन	हरा खड़ा	0	2	0	0	2	3	0	0	0	0	7		
	भीमल	हरा खड़ा	0	2	2	2	3	0	0	0	0	0	9		
	कलमिना	हरा खड़ा	0	7	4	1	0	0	0	0	0	0	12		
	सीरस	हरा खड़ा	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
	खड़ीक	हरा खड़ा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
	बेड़ू	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	अखरोट	हरा खड़ा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
	कठमहुवा	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		योग	1	20	16	9	6	4	1	0	0	0	57	पोखनी सिविल	
242 से 252, 264 से 273 तक-21	कचनार	हरा खड़ा	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
	आंवला	हरा खड़ा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
	रोहिणी	हरा खड़ा	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
	तुन	हरा खड़ा	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2		
	गैठी	हरा खड़ा	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
	तिमला	हरा खड़ा	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
	काकड़ा	हरा खड़ा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
	सांदण	हरा खड़ा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2		
	बकैन	हरा खड़ा	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6		
	कलमिना	हरा खड़ा	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	1		
	खड़ीक	हरा खड़ा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
	पिलखन	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	घौला	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		योग	0	7	8	4	0	1	0	1	0	0	21	सिविल पोखनी	
274 से 428, 473 से 529 तक-212	चीड़	हरा खड़ा	14	29	37	26	5	1	0	0	0	0	112		
	सुरई	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	तिमला	हरा खड़ा	4	10	5	0	1	0	0	0	0	0	20		
	काकड़ा	हरा खड़ा	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3		
	कचनार	हरा खड़ा	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
	खैणा	हरा खड़ा	0	5	2	1	0	0	0	0	0	0	8		
	कठमहुवा	हरा खड़ा	3	15	1	0	0	0	0	0	0	0	19		
	खैर	हरा खड़ा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	तुन	हरा खड़ा	3	7	1	0	0	0	0	0	0	0	11		
	गैठी	हरा खड़ा	3	9	1	1	1	0	0	0	0	0	15		
	बांज	हरा खड़ा	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
	सीरस	हरा खड़ा	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	5		
	खड़ीक	हरा खड़ा	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3		
कलमिना	हरा खड़ा	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	7			
सुबबूल	हरा खड़ा	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
सेमल	हरा खड़ा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1			
		योग	35	86	52	29	9	1	0	0	0	0	212	लांजी नक़्क़ा	
543 से 553 तक-11	बकैन	हरा खड़ा	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2		
	भीमल	हरा खड़ा	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	6		
	तिमला	हरा खड़ा	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3		

गणना क्रमांक	वृक्ष गणना		व्यासवार वृक्ष गणना											योग	वृक्ष प्रकार
	प्रजाति	किस्म	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 over			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		योग	3	1	4	1	1	1	0	0	0	0	11	लाजी सिविल	
530 से 542, 554 से 583 तक-43	चीड़	हरा खड़ा	4	4	2	1	0	0	0	0	0	0	11		
	तिमला	हरा खड़ा	1	4	5	1	0	0	0	0	0	0	1		
	काकड़ा	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	बकैन	हरा खड़ा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	कैल	हरा खड़ा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8		
	कलमिना	हरा खड़ा	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	2		
	अखरोट	हरा खड़ा	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
	जैकरेण्डा	हरा खड़ा	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	रोहिणी	हरा खड़ा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
	गैठी	हरा खड़ा	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	43		
	योग	16	13	11	3	0	0	0	0	0	0	583			
	कुलयोग	131	204	149	66	21	10	1	1	0	0				

प्रभागीय वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेंज
बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर
बद्रीनाथ वन विभाग, गोपेश्वर

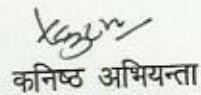
न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।


अमीन

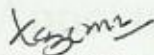

कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लाजी से
द्वीग तक 10 किमी. मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का गैर वानिकी
कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यो में जो भी व्यय होगा, उसे लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।

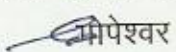


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर



सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर



अधिसासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि.,


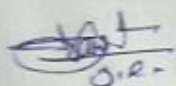
MUCK DISPOSAL EXCERISISE INDEX

- 1- Construction of Pakhi-Hyuna-Pokhani-Langi to Dwing motor road. Under C.M. annowance (State Sector).
- 2- Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Annexure II

Name of Work :-

Construction of Pakhi-Hyuna-Pokhani-Langi to Dwing motor
Under C.M. annowance (State Sector).

Sl. No.	Item	No.	L	B	H	Quantity	Unit	
1	Material received from hill side cutting taking 80% of total quantity							
		(1x1/2x10000x7x3)x80%				84000.00	Cum	
2	Swell Factor	Taking 40% of total quantity				33600.00	Cum	
			Total Muck -				117600.00	Cum
DISPOSAL AND USE OF MATERIALS								
1	R.R. stone masonry 1:6	1x180	20.00	(0.60+1.77)/2		3.50	14931.00	Cum
2	R.R. stone masonry laid in Dry	1x250	30.00	(0.60+1.27)/2		2.00	14025.00	Cum
3	H.P. stone filling	1x250x1/3	30.00	(1+.5)/2		1.50	2812.50	Cum
4	P/L of wire creat wall	1x 100	3.00	1.50		1.50	675.00	Cum
5	C/O parapets	1x400	3.00	0.60		0.45	324.00	Cum
6	C/O Scupper	1x40	6.00	3.00		1.80	12960.00	
7	Granular sub base/base/surface	1x1	4600.00	3.75		0.10	60375.00	Cum
			Total Used Materials :-				106102.50	Cum
	Material Disposal by Cartage in Dumping Yard					11497.50	Cum	
LOCATION AND QUANTITY OF DEBRIES DISPOSAL								
Sl. No.	Location of dumping yard	Size of dumping yard	Type of land	capacity of dumping yard		Unit		
1		60x10x3.50	Civil Land	2100.00		cum		
2		60x10x3.50	Civil Land	2100.00				
3		60x10x3.50	Private Land	2100.00				
4		60x10x3.50	Private Land	2100.00				
5		60x10x3.50	Civil Land	2100.00				
		60x10x3.50	Private Land	2100.00				
			Total-	12600.00		Cum		
SUMMARY OF DABRIES (MUCK) DISPOSAL								
Sl. No.	Total Dabries	Material diposed by Cartege	Reused materials (road construction)	Total Disposal in Dumping Zone		Balance		
1	117600.00	11497.50	106102.50	11497.50				



Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Detail

Sl. No.	Chainage	Name of Land Owner & Village	Land in Hec.	Land in Sqm.	Land area being used for dumping yard (sum)	Longitude	Latitude
1		Uttarakhand Govt. Land	0.300	3000.00	300.00	79°26'14.75" E	30°28'6.54" N
			0.300				
2		Uttarakhand Govt. Land	0.275	2750.00	300.00	79°26'27.29" E	30°28'14.92" N
			0.275				
3		Smt. Sona devi, W/o Sri Damodhar Prasad	0.149	1490.00	300.00	79°26'27.12" E	30°28'21.79" N
			0.149				
4		Sri shiv singh, S/o Sri Roop singh	0.060	600.00	600.00	79°26'25.98" E	30°28'33.74" N
			0.060				
5		Uttarakhand Govt. Land	0.243	2430.00	600.00	79°26'36.60" E	30°28'31.15" N
			0.243				
6		Sri Badar Singh Gabar Singh	0.108	1080.00	600.00	79°27'8.77" E	30°29'3.52" N
			0.108				
		Grand Totla-	1.135	10270.00	2700.00		
				or	0.270	Hec.	
		Taking Only Civil Land for Forest Transfer			0.120	Hec.	

मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण :-

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी से द्वीग तक 10 किमी० नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित भूमि पर के बराबर वृक्षारोपण योजना का दसवर्षीय व्यय।

2- वृक्षारोपण स्थल का नाम :- मक डिस्पोजल हेतु चिह्नित प्लान के अनुसार। क्षेत्रफल :- 0.210 है०

3- रोपित किये जाने वाले कुल पौधों की सं० (कुल क्षेत्रफल x 2000) = 0.210x 2000 = 420 पौधे

4- रोपित की जाने वाली प्रजातियां :-

क्र०सं०	कार्य मद विवरण	मात्रा	इकाई	इकाई दर	योग
1	2	3	4	5	6
(1)	प्रथम वर्ष अग्रिम मृदा कार्य :-				
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.210	है०	115.00	24.15
2	स्थल सफाई कार्य	0.210	है०	3730.00	783.30
3	दीवाल बन्दी कार्य फन्सिंग 150 मी० प्र० है० = 81 घ०मी० @ 121/- घ० मी०	0.210	है०	38637.00	8113.77
4	गडदे खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित	420	गडदे	7.95	3339.00
5	डी० ए० पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गडदा	10.50	कि०ग्र०	28.00	294.00
6	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	420	पौधे	6.20	2604.00
7	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य	0.210	है०	9150.00	1921.50
8	निरीक्षण बटिया बनाना	0.210	है०	915.00	192.15
	योग - प्रथम चरण				17,271.87
(2)	द्वितीय वर्ष रोपण कार्य :-				
1	झाड़ी कटान लैण्डाना गाजर घास/ काला बांस	0.210	है०	1887.00	369.27
2	गडदे भरान कार्य डी० ए० पी० मिलाने सहित	420	गडदे	1.42	596.40
3	पौध डुलान कार्य	420	पौधे	9.00	3780.00
4	पौध रोपण कार्य	420	पौधे	2.77	1163.40
5	पौधों की प्रथम निराई गुड़ाई मलचिंग कार्य	420	पौधे	1.89	793.80
6	पौधों की द्वितीय निराई गुड़ाई एवं मलचिंग कार्य	420	पौधे	1.63	684.60
7	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	420	पौधे	1.80	756.00
8	वाचर (चौकीदार प्रथम वर्ष रोपण वर्ष) 8 माह	0.210	है०	685.00	1150.80
9	साईन बोर्ड आदि कय	0.210	है०	1100.00	231.00
	योग द्वितीय चरण :-				9,552.27
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण :-				26,824.14
(3)	तृतीय वर्ष 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वीडिंग अप) प्रति है०				
1	पौध की लागत	42	पौधे	8.00	336.00
2	पौध डुलान कार्य	42	पौधे	9.00	378.00
3	पुनः गडदा खेदना एवं रोपण कार्य	42	पौधे	4.40	184.80
4	गडदों में गोबर खाद डालना लागत सहित	42	पौधे	1.95	81.90
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	42	पौधे	1.63	68.46
6	वनीकरण चौकीदारी (12 माह) 1 वर्ष	0.210	है०	685.00	1726.20
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.210	है०	450.00	94.50
	योग तृतीय चरण :-				2,869.86
(4)	चतुर्थ वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	0.210	है०	685.00	1726.20
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.210	है०	450.00	94.50
	योग चतुर्थ चरण :-				1,820.70
(5)	पंचम वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	0.210	है०	685.00	1726.20
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.210	है०	450.00	94.50
	योग पंचम चरण :-				1,820.70

क्र०सं०	कार्य मद विवरण	मात्रा	इकाई	इकाई दर	योग
1	2	3	4	5	6
(6)	छठा वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	0.210	हे०	685.00	1726.20
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.210	हे०	450.00	94.50
	योग छठा चरण :-				1820.70
(7)	सातवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	0.210	हे०	685.00	1726.20
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.210	हे०	450.00	94.50
	योग सातवां चरण :-				1820.70
(8)	आठवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	0.210	हे०	685.00	1726.20
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.210	हे०	450.00	94.50
	योग आठवां चरण :-				1820.70
(9)	नोवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	0.210	हे०	685.00	1726.20
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.210	हे०	450.00	94.50
	योग नोवां चरण :-				1820.70
(10)	दसवां वर्ष (रखरखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	0.210	हे०	685.00	1726.20
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.210	हे०	450.00	94.50
	योग दसवां चरण :-				1820.70
	सम्पूर्ण योग :-				42,438.90

प्रभागीय वनाधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

जनसंवेद्यता अधिकारी
बमोली रेंज
बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

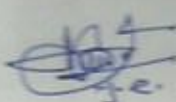

 सहायक अभियन्ता
 प्र० खण्ड लो० नि० वि०
 गोरेश्वर




 सहायक अभियन्ता
 प्र० खण्ड लो० नि० वि०
 गोरेश्वर

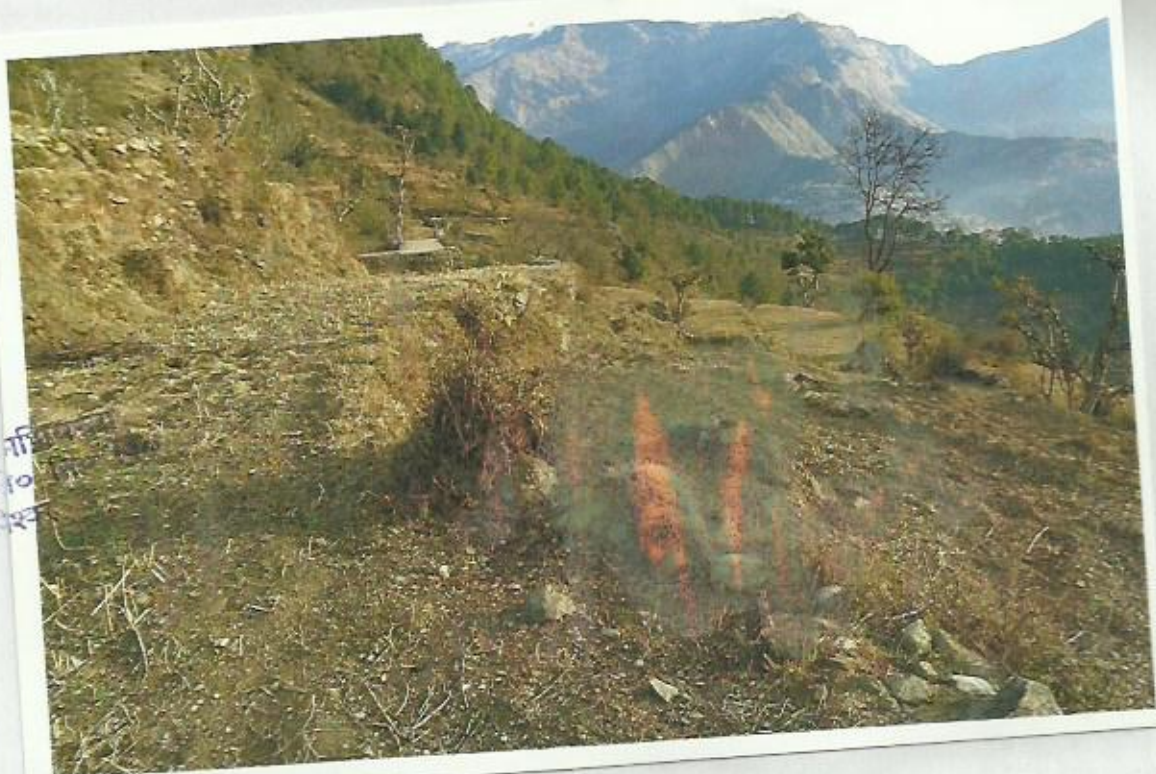



 सहायक अभियन्ता
 प्र० खण्ड लो० नि० वि०
 गोरेश्वर


 जे.

Executive Engineer
 Pimpri Chinchwad
 District

1
 सहायक अभियन्ता
 प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
 गोपेश्वर



सहायक अभियन्ता
 प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
 गोपेश्वर



सहायक अभियन्ता
 प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
 गोपेश्वर

5-2.

Examination
 Department

(3)

0132 सूची

(3)

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर



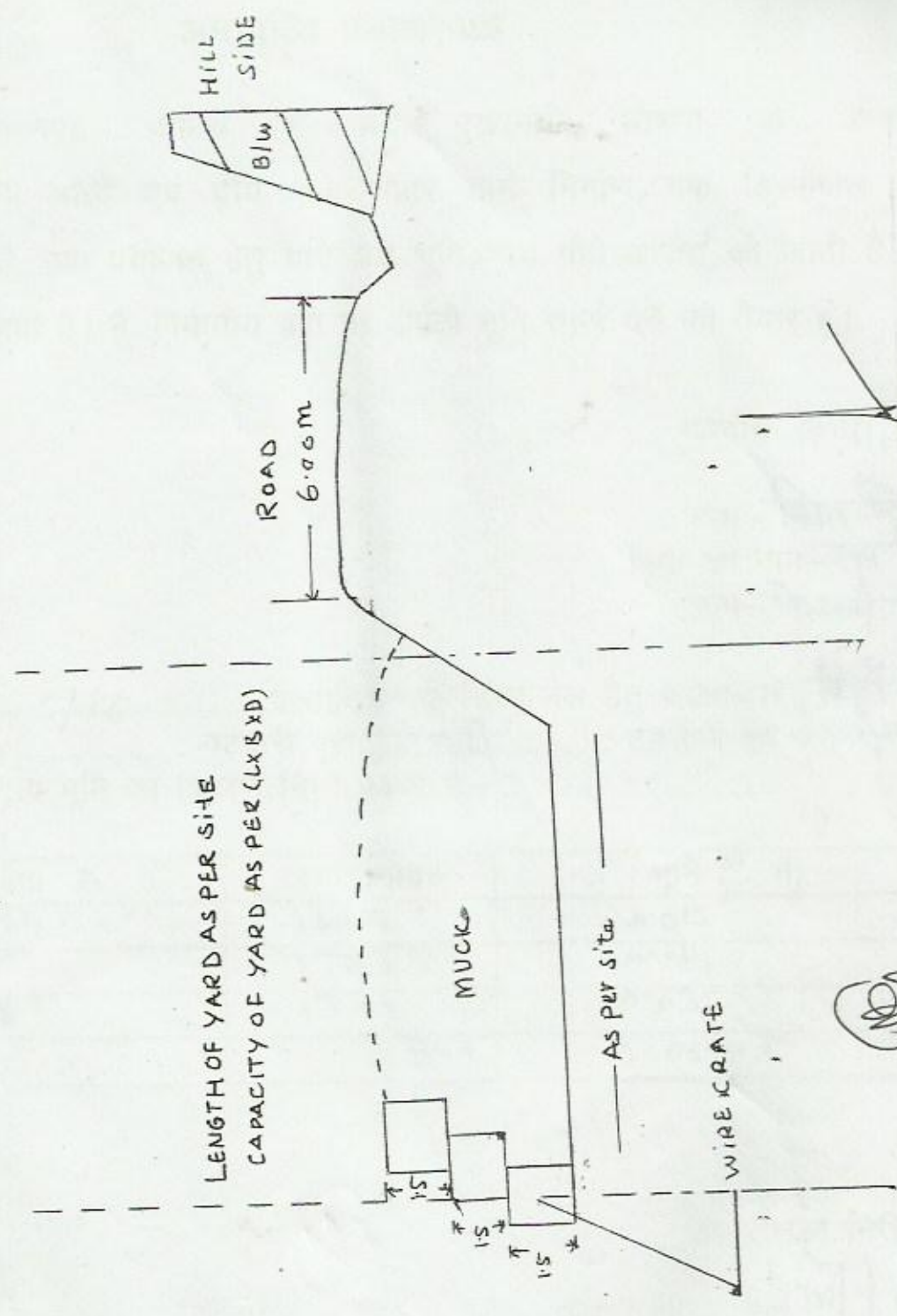
S.E.

(3)

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

Executive Engineer
Provincial Division P. W. D
Gopeshwar

कार्ग का नाम - जनपद चमोली से सा. मुख्यमंत्री श्री धनराज सिंह पाखी - ड्यूना - लाइली - डींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव



अधिकासी अभिकर्ता
प्रतीक खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोरखपुर

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो. नि. वि.
गोरखपुर

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जनपद चमोली में मा. मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूणा-पोखनी-लांझी एवं द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि/पेड़ पौधे अर्जित की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं, विभागीय दरो पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूं।

भवदीय शिवसिंह

नाम- शिव सिंह

पिता का नाम- रूप सिंह

ग्राम- पोखनी

कास रेड 5/16 प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार शिव सिंह

पटवारी वृत्त देवली तहसील एवं जेसी मठ
जिला-चमोली के नाप भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	खाता सं.	खसरा नम्बर	भूमि (हे. में)
1	22	1372	0.015
		1373	0.014
		1374	0.031
		कुल	0.060

उप राजस्व निरीक्षक

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जनपद चमोली में मा. मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूणा-पोखनी-लांझी एवं द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि/पेड़ पौधे अर्जित की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मै, विभागीय दरो पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूं।

जगदर सिंह

भवदीय

जगदर सिंह

नाम-बादर सिंह

पिता का नाम-

ग्राम-लाजी

.....प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार बादर सिंह
जिला-चमोली के नाप भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-
पटवारी वृत्त लांझी तहसील एवं जोशीमठ

क्र.सं.	खाता सं.	खसरा नम्बर	भूमि (हे. में)
1	11	1114	0.030
		1115	0.030
		1116	0.028
			0.088

उप राजस्व निरीक्षक

लाजी

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

जनपद चमोली में मा. मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूणा-पोखनी-लांझी एवं द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि/पेड़ पौधे अर्जित की जाती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं, विभागीय दरो पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूं।

सैन देवी
भवदीय

नाम- सैन देवी/अपोखर
पिता का नाम- पहाड़
ग्राम- पाली

.....प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार सैन देवी
..... पटवारी वृत्त पटवारी तहसील एवं
जिला-चमोली के नाप भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

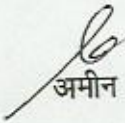
क्र.सं.	खाता सं.	खसरा नम्बर	भूमि (हे. में)
1	64	25	0.084
		26	0.065
			<u>0.149</u>

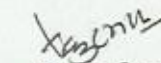
उप राजस्व निरीक्षक
(Signature)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-झींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

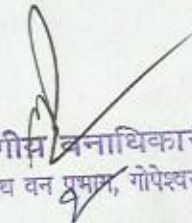
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-झींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

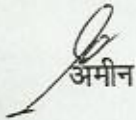

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

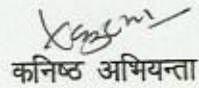

प्रभागीय/बनाधिकारी
बदीनाथ वन प्रमाण, गोपेश्वर।

वन्य जीव/राष्ट्रीय पार्क से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

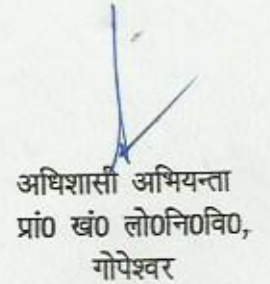
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-स्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

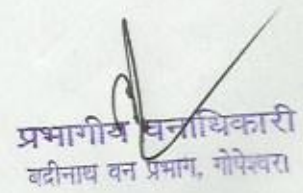
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-स्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.85 हे० सिविल/ वन पंचायत वनभूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.120 हेक्टेयर वनभूमि इस प्रकार कुल 3.97 हेक्टेयर वनभूमि राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव बिहार का हिस्सा नहीं है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

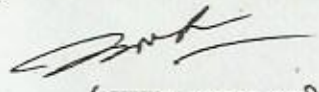

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


प्रभागीय वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के अन्तर्गत चमोली पाखी- ह्यूणा -पोखनी-लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण मोटर मार्ग निर्माण ।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित सड़क योजना की केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार की सीमा से समीपस्थ हवाई दूरी लगभग 2.00 कि०मी० (दो किमी० मात्र) है।


(आकाश कुमार वर्मा)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण जनहित का निर्माण है। इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ग्राम वासियों की आम सभा हुई। आम सभा में निर्णय लिया गया कि इस निर्माण पर पड़ने वाली नाप भूमि/सिविल/वन पंचायत/आरक्षित भूमि आदि किसी प्रकार की भूमि में मोटर मार्ग निर्माण में इस ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाता है।

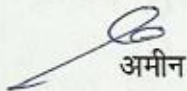


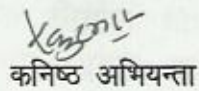
कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

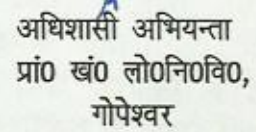
जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

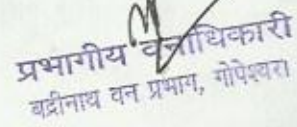
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। वन भूमि हस्तान्तरण होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


प्रभागीय वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

2018/231

11-04-2014

कार्यालय भूवैज्ञानिक,
जिला टास्क फोर्स, चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार),
गोपेश्वर।

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर।

पत्रांक: 769/जि0टा0फो0/सड़क-मोटर मार्ग/2013-14, दिनांक 29 मार्च, 2014

विषय: जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत पाखी-
ह्यूणा-लांझी से द्वीग तक प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखण (10.000 कि0मी0)
स्थल/क्षेत्र की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 3184/संयुक्त निरीक्षण, दिनांक 10.12.2013, जो कि सहायक भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित तथा सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0 जोशीमठ व श्री फिरोज अहमद, अपर सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोशीमठ को पृष्ठांकित है एवं सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के पत्र संख्या 295/1 सी0, दिनांक 10.12.2013, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि सहायक भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रूद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित तथा आपको व अपर सहायक अभियन्ता (इन्चार्ज), लोक निर्माण विभाग जोशीमठ को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा उपरोक्त स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय निरीक्षण आख्या आपके सुलभ संदर्भार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(हस्ताक्षर)

सहायक अभियन्ता

प्रा० ख० लो० नि० वि०

(हस्ताक्षर)

भवदीय,

भूवैज्ञानिक।

पृष्ठांक : /जि0टा0फो0/सड़क-मोटर मार्ग/2013-14 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : 1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. संयुक्त निदेशक/कार्यालयाध्यक्ष, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग

पत्रांक 2018 निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता जोशीमठ को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता जोशीमठ को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता जोशीमठ को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता जोशीमठ को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता जोशीमठ को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता जोशीमठ को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता जोशीमठ को सूचनार्थ प्रेषित।

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-लांझी से द्वींग तक प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखण (10.000 कि०मी०) स्थल/क्षेत्र की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या

अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के पत्र संख्या 3184/संयुक्त निरीक्षण, दिनांक 10.12.2013, जो कि सहायक भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रुद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित तथा सहायक अभियन्ता, लो०नि०वि० जोशीमठ व श्री फिरोज अहमद, अपर सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोशीमठ को पृष्ठांकित है एवं सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर के पत्र संख्या 295/1 सी०, दिनांक 10.12.2013, जो कि सहायक भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रुद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित तथा अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर व अपर सहायक अभियन्ता (इन्चार्ज), लोक निर्माण विभाग जोशीमठ को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-लांझी से द्वींग तक प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखण (10.000 कि०मी०) स्थल/क्षेत्र की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में उपरोक्त समरेखण स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री वी०एस० बर्त्वाल, सहायक अभियन्ता एवं श्री फिरोज अहमद, अपर सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोशीमठ की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय निरीक्षण आख्या निम्नवत है :-

प्रस्तावित पाखी-ह्यूणा-लांझी से द्वींग तक मोटर मार्ग समरेखण, अलकनन्दा नदी के दायें/उत्तरपश्चिम फ्लैंक/तट के पहाड़ी ढाल पर प्रस्तावित है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 के कि०मी० 451.000 (0-2) के खड्ड साइट/उत्तरपश्चिम से प्रारम्भ किया जाना है। मोटर मार्ग समरेखण की कुल लम्बाई 10.000 कि०मी० प्रस्तावित है जिसमें 18 हेयरपिन बैंड्स के साथ मोटर मार्ग को गुजारा जाना है जो कि उपलब्ध कराये गये समरेखण व स्थलीय निरीक्षण के दौरान उपस्थित विभागीय प्रतिनिधियों के द्वारा अवगत कराया गया।

मोटर मार्ग समरेखण लगभग 03 पृथक-पृथक पहाड़ी ढालों-ग्राम पाखी, ह्यूणा व लांझी के निकटवर्ती पहाड़ी ढाल से होकर गुजारा जाना प्रस्तावित है। स्थल के भूगर्भीय सर्वेक्षण के दौरान उपस्थित विभागीय सहायक अभियन्ता व अपर सहायक अभियन्ता के द्वारा अवगत कराया गया कि सम्पूर्ण मोटर मार्ग समरेखण का ग्रेड लगभग 1:20, 1:40 तथा 1:60 प्रस्तावित है। प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखण में 2.625 कि०मी० लम्बाई में निजी नाप भूमि व शेष लम्बाई में वन पंचायत/वन भूमि से होकर समरेखण गुजारा जाएगा। मोटर मार्ग निर्माण की कुल लागत 126.00 लाख अनुमानित की गयी है।

प्रस्तावित सम्पूर्ण मोटर मार्ग स्थल मध्य हिमालयी पर्वत श्रेणियों के सहित भूकम्पीय जोन-V में अवस्थित है अतः अधिकांशतः लघु व मध्यम तीव्रता तथा अधिक तीव्रता के भूकम्पों से स्थल के प्रभावित होने की सम्भावना से नकल सकता है। उक्त स्थल के समीपवर्ती उत्तरी भूभाग क्षेत्र से मुख्य केन्द्रीय साहित्य में मध्य व उच्च हिमालय क्षेत्रों को विभक्त करता है।

0.000 कि०मी०-2.000 कि०मी० तक :

मोटर मार्ग समरेखण, प्रारम्भ मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 के कि०मी० 421.000 से प्रारम्भ तीव्र पहाड़ी ढाल के साथ निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है। स्थल का पहाड़ी ढाल लगभग 40° उत्तरपश्चिम है। उक्त के मध्य 04 हेयरपिन बैण्ड्स एक ही पहाड़ी ढाल पर निर्मित किये जाने प्रस्तावित हैं जो कि पूर्व निर्मित झूला पुल तक अलकनन्दा नदी के बायें तट/दक्षिणपूरब पर किया जाना प्रस्तावित है। स्थल के अपस्लोप पर स्थानीय प्रजाति के वृक्ष व झाड़ियाँ विद्यमान हैं। स्थल की अधोभूमि अवस्थित चट्टानों की नति पहाड़ी ढाल के ऑबलिक विद्यमान है जिसमें चट्टानें ज्वाइंटेड प्रकृति की अवस्थित हैं। अतः मोटर मार्ग कटाव के दौरान विस्फोटकों के प्रयोग से चट्टानों में पर्याप्त सन्धियों के खुलने की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है।

2.000 कि०मी०-3.500 कि०मी० तक (ग्राम हयूणा) :

उक्त समरेखण, अलकनन्दा नदी को पार करके ग्राम हयूणा के उत्तरपूरबी पहाड़ी ढाल पर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है जो कि प्रथम दृष्ट्या मृदा व चट्टानों के मिश्रित मलवे के रूप मे अवस्थित है। समरेखण अलकनन्दा नदी के दाहिने/ऊपरी पहाड़ी ढाल पर निर्मित किया जाना है जो कि दक्षिणपूरब फेसिंग पहाड़ी ढाल के साथ अवस्थित है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान विभागीय प्रतिनिधियों के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्लोप पर दो हेयरपिन बैण्ड्स के द्वारा मोटर मार्ग समरेखण ग्राम हयूणा के पीछे/उत्तरपश्चिम से होकर गुजारा जाना है। मोटर मार्ग समरेखण अधिकांशतः मृदा बाहुल्य क्षेत्र है। साथ ही मध्य भूभाग में गड़ने वाले नाले को पार करके मोटर मार्ग समरेखण गुजारा जाएगा। उक्त के मध्य पहाड़ी ढाल लगभग 20°-35° दक्षिणपूरब विद्यमान है। स्थल पर मोटर मार्ग कटाव के साथ स्थल के पुनिल और रिपोज को भी संरक्षित किया जाये। साथ ही वर्षाकाल के दौरान मृदा अपरदन को रोकने के आवश्यक उपाय किये जायें।

3.500 कि०मी०-10.000 कि०मी० तक (ग्राम पोखनी, लांडी)

उक्त के मध्य मोटर मार्ग समरेखण दो पहाड़ी ढालों से होकर गुजर रहा है। प्रथम पहाड़ी ढाल दक्षिणपूरब व द्वितीय पहाड़ी ढाल दक्षिणपूरब फेसिंग अवस्थित है। उक्त के मध्य 12 हेयरपिन बैण्ड्स का निर्माण किया जाना है जिसमें 10 हेयरपिन बैण्ड्स प्रथम पहाड़ी ढाल के डाउनस्लोप में अवस्थित ग्राम हयूणा के उसके अपस्लोप में अवस्थित ग्राम पोखनी के मध्य किया जाना है जो कि उपलब्ध समरेखण में प्रदर्शित किया गया है। उक्त के मध्य लगभग 10 हेयरपिन बैण्ड्स का निर्माण किया जायेगा जो कि तीव्र पहाड़ी ढाल के साथ अवस्थित क्षेत्र है एवं उसी स्थल की दूरी लगभग 500 मीटर अवस्थित है जिससे उक्त पहाड़ी ढाल पर 10 हेयरपिन बैण्ड्स का निर्माण किया जाना सुरक्षित नहीं है। साथ ही मार्ग समरेखण में बैण्डों के बीच पहाड़ी ढाल पर उचित चौड़ाई दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः उक्त के मध्य मोटर मार्ग समरेखण का विस्तार बैण्डों की संख्या में न्यून करते हुए मोटर मार्ग समरेखण को विस्तारित किया जाना उचित एवं आवश्यक होगा।

सहायक अभियंता

ग्राम ४० लो ४०

मोटर मार्ग

जिलाधिकारी

चमोली

चमोली

चमोली

चमोली

चमोली

चमोली

गुजर रहा है। उक्त के मध्य पहाड़ी ढाल 35° – 40° व कतिपय स्थलों पर इससे कम तीव्रता के साथ अवस्थित है। ग्राम पोखनी से आगे मोटर मार्ग समरेखण अपस्लोप से आये अवसाद क्षेत्र में से होकर गुजर रहा है। उक्त मोटर मार्ग समरेखण में मृदा का रंग हल्का काला, भूरा प्रकृति का दृष्टिगोचर हो रहा है।

समरेखण स्थल की अधोभूमि में साइलीसियस, डोलोमिटिक व सेरिसिटिक, माइका शिष्ट, फिलिटिक स्लेट व क्वार्ट्जिटिक प्रकृति की चट्टानें संस्तरीय क्रम में विद्यमान हैं जिनकी प्रसार व नति $330^{\circ}/40^{\circ}$ उत्तरपश्चिम है।

महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु :

1. उक्त मोटर मार्ग समरेखण के मध्य ग्राम ह्यूणा व पोखनी के मध्य पड़ने वाले 10 हेयरपिन बैण्ड्स की संख्या को कम अथवा परिवर्तित किया जाना उचित एवं आवश्यक होगा। साथ ही मोटर मार्ग समरेखण निर्माण के साथ निचले भूभाग पर अवस्थित ग्राम ह्यूणा की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण कार्य हेतु विचार किया जाय।
2. उक्त मोटर मार्ग समरेखण में 18 एच0पी0 बैण्ड्स के साथ मोटर मार्ग निर्माण कार्य किया जाना है। मोटर मार्ग समरेखण में अलकनन्दा नदी के दायें तट से अपस्लोप में अवस्थित ग्राम पोखनी तक एक ही पहाड़ी ढाल पर 12 एच0पी0 बैण्ड्स के निर्माण कार्य के लिए तीव्रता का पहाड़ी ढाल व बैण्डों के एक दूसरे के ऊपर निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए उक्त के मध्य समरेखण को परिवर्तित व बैण्डों को न्यून करते हुए विस्तार किया जाना उचित होगा।

प्रस्तावित स्थल पर एकत्रित किये गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए लगभग कि०मी० 3.500 से कि०मी० 6.000 कि०मी० तक मोटर मार्ग समरेखण को परिवर्तित करते हुए विचार किया जाय।

(अमित गौरव)

सहायक भूवैज्ञानिक

सहायक अभियन्ता

प्रा० ख० लो० नि० वि०

गोरेश्वर

Task Force Certificate

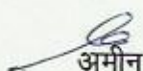
- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

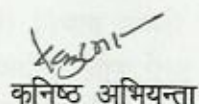
A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

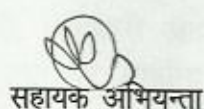
- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in rock. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
- (v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with good results.

- (vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

मानक शर्तें

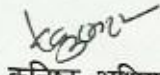
(वन अनुभाग -3, उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-980/82 दिनांक 31-12-1984 द्वारा निर्धारित)

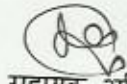
1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी ।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदाति नहीं ।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा ।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है
5. हस्तांतरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायेगें, और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा ।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की देखभाल करेगा
7. हस्तांतरित वन भूमि पर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी ।
8. बहुमूल्य वन संपदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तांतरण यथासम्भव व्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन संपदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छंद विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जायेगी ।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति बिना किसी प्रकार के प्रतिकर भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी । वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तांतरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी ।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर प्लानिंगमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी. दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है ।

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धि प्रमाण पत्र के आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा ।
13. वन भूमि में खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तरांचल वन विकास निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन करना आवश्यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज (OAK) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, जो न्यूनतम पेड़ों की संख्या सुयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक होगा।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है, तो ऐसा याचक विभाग अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती हैं, तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

उपरोक्त शर्तें लोक निर्माण विभाग को मान्य हैं।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता

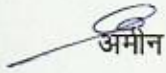

सहायक अभियन्ता

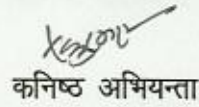

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

भूगर्भवेत्ता द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण के दौरान भूगर्भवेत्ता द्वारा अपने निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता

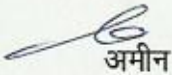

सहायक अभियन्ता

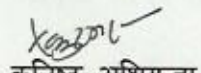

अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ट्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की सभी शर्तें याचक विभाग को पूर्ण रूप से मान्य है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

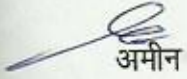

अधिसासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

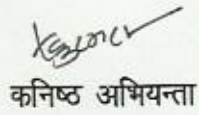
ऐतिहासिक स्थल / मकान पेड़ आदि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

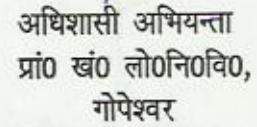
जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

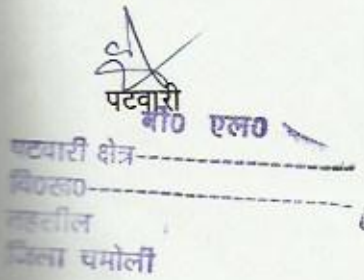
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण में पडने वाली भूमि के अन्दर कोई भी मकान, मंदिर, कब्रस्थान, मस्जिद आदि नहीं पड़ते हैं।


अमीन


कनिष्ठा अभियन्ता

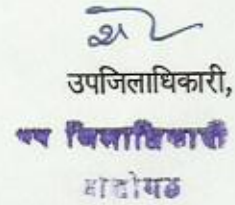

सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

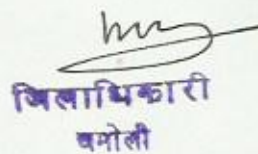

पटवारी
बि० एल०
पटवारी क्षेत्र
वि० लो०
तहसील
जिला चमोली

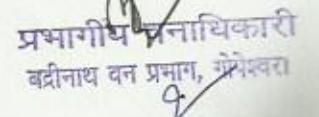

तहसीलदार


Tahsiladar


उपजिलाधिकारी,
जिला चमोली
हाटोयठ


वन क्षेत्राधिकारी
चमोली डेन्ज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


जिलाधिकारी
चमोली

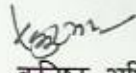

प्रभागीय प्रशासिक अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घो-णान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान लो0नि0वि0 द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

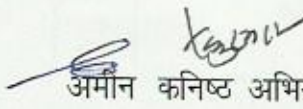

अधिशाली अभियन्ता
प्रां0 खं0 लो0नि0वि0,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत
पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कैरोसिन आयल/वैकल्पिक ईंधन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ
के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य के समय विभागीय
ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को कैरोसिन आयलन/वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करा दिया जायेगा।


अर्मान कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

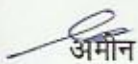

अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

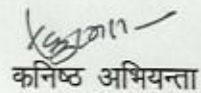
लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची एवं परिवारों की संख्या का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण के पूरी लम्बाई में निर्माण हो जाने से से निम्न ग्राम/आबादी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे

क्रम सं०	ग्राम का नाम	परिवारों की संख्या	2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	पोखनी	48	246
2.	लांजी	34	167
	योग :-	82	413


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

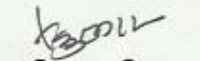
एन.पी.वी. प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन.पी.वी. की धनराशि यदि मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बढ़ी हुई एन०पी०वी० धनराशि का भुगतान वनविभाग को किया जायेगा।


अमोन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खं० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

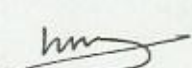
क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घो-णान्तर्गत
पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु
हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु वन (संरक्षण)
अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति
मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। खसरा नम्बर~~1423~~ 1386, 1423.
.....~~1423~~ क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है।


अधिशाली अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


जिलाधिकारी,
चमोली
जिलाधिकारी
चमोली

कार्य का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्थल का नाम	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित हेक्टेयर से किमी.	प्रस्तावित रोपण कार्य का विवरण	दर प्रति किमी. लाख में	धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5
जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण	आर०सी०आर० पिलर (मुनारा) बनाना, 1:6 सीमेंट मय प्लास्टर करना, दो कोट चूना सफेदी	3.97		

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घो-णान्तर्गत
पाखी-स्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सीमा पिलरों पर होने वाले व्यय का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के
विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-स्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य के
समय सीमा पिलरों पर होने वाले व्यय को इस विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

अमीन कनिष्ठ अभियन्ता

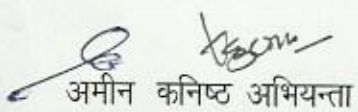

सहायक अभियन्ता


अधिशासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

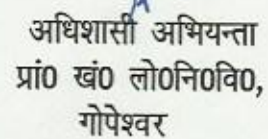
परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घो-णान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-झींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का विवरण

क्रम सं०	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	वृक्षारोपण हेतु लिया गया क्षेत्रफल (हे० में)
1	कलंगौड़	1386, 1423	7.94 हेक्टेयर
	सम्पूर्ण योग :-		7.94 हेक्टेयर


अमीन कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

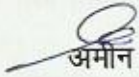

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

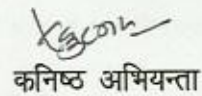
चैक लिस्ट का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घो-णान्तर्गत
पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के
विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन
भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में चैक लिस्ट के अनुरूप समस्त सूचनायें संलग्न की गई हैं।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशर्सी अभियन्ता
प्रां० खं० लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

फैक्ट सीट

- 1 कार्य का नाम :- विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ में पाखी-ह्यूणा-पोखनी -लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
- 2 प्रस्तावत भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे.) :-

आरक्षित वन भूमि -	--
सिविल एवं सोयम वनभूमि -	3.970
वन पंचायत वन भूमि -	0.000
निजी भूमि -	2.470
योग -	6.440
- 3 प्रस्तावक विभाग का नाम :- प्रा.खण्ड, लो.नि.वि., गोपेश्वर
- 4 वन प्रभाग का नाम :- बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
- 5 प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है - ☒ हां / ☐ नहीं
- 6 प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है - ☒ हां / ☐ नहीं
- 7 क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है - ☒ हां / ☐ नहीं
- 8 क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है - ☒ हां / ☐ नहीं
- 9 प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है - ☒ हां / ☐ नहीं
- 10 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है - ☒ हां / ☐ नहीं
- 11 बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है - ☒ हां / ☐ नहीं
- 12 प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है - ☒ हां / ☐ नहीं
- 13 समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है - ☒ हां / ☐ नहीं
- 14 क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली घनत्व सही है - ☒ हां / ☐ नहीं
- 15 क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है - ☒ हां / ☐ नहीं
- 16 क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है - ☒ हां / ☐ नहीं
- 17 प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है - ☒ हां / ☐ नहीं
- 18 क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है - ☒ हां / ☐ नहीं

- 19 प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है -
यदि हां तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है - हां/नहीं ✓
- 20 क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - ✓ हां/नहीं
✓ हां/नहीं
- 21 प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है - (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाता है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) -
- 22 क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रंगों से भरा है - ✓ हां/नहीं
✓ हां/नहीं
- 23 यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है -
- 24 क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - ✓ हां/नहीं
नहीं
- 25 यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
- 26 सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं -
- 27 वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) ✓ हां/नहीं
- 28 लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है -
(5 हे. से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) ✓ हां/नहीं
हां/नहीं
- 29 मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है - ✓ हां/नहीं
- 30 मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है -
अथवा
मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है - ✓ हां/नहीं
- 31 राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है - हां/नहीं ✓
✓ हां/नहीं
- 32 क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है, यदि छाया प्रतियां संलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित हैं -
- 33 यदि वनभूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है - ✓ हां/नहीं
- 34 वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - ✓ हां/नहीं
- 35 क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - ✓ हां/नहीं
- 36 क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्रा संलग्न हैं - ✓ हां/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फॉर्म सीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं


अध्यक्ष अभियन्ता
क्र० ४० लो० नि० दि०
कोयंबूर

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कोयंबूर

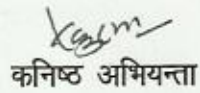
अन्य वैकल्पिक संरेखण प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

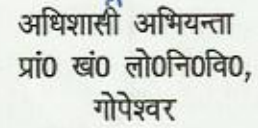
जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु दो विकल्पों पर विचार किया गया, किन्तु प्रस्तावित संरेखण उपयुक्त है। इस संरेखण से अधिक से अधिक ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं तथा कम से कम वन सम्पदा का नुकसान हो रहा है। भू-गर्भवित्ता द्वारा भी प्रस्तावित संरेखण को उपयुक्त बताया गया है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता

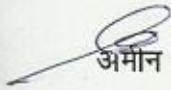

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

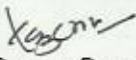
स्थल विशिष्ट होने/न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत
पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में जोशीमठ विकास
खण्ड के अन्तर्गत यह मार्ग पर्यटन की दृष्टि से विशिष्ट स्थल नहीं है।


अमान


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

खसरे की नकल

कार्य का नाम :- विधानसभा क्षेत्र बदीनाथ में पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी से द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

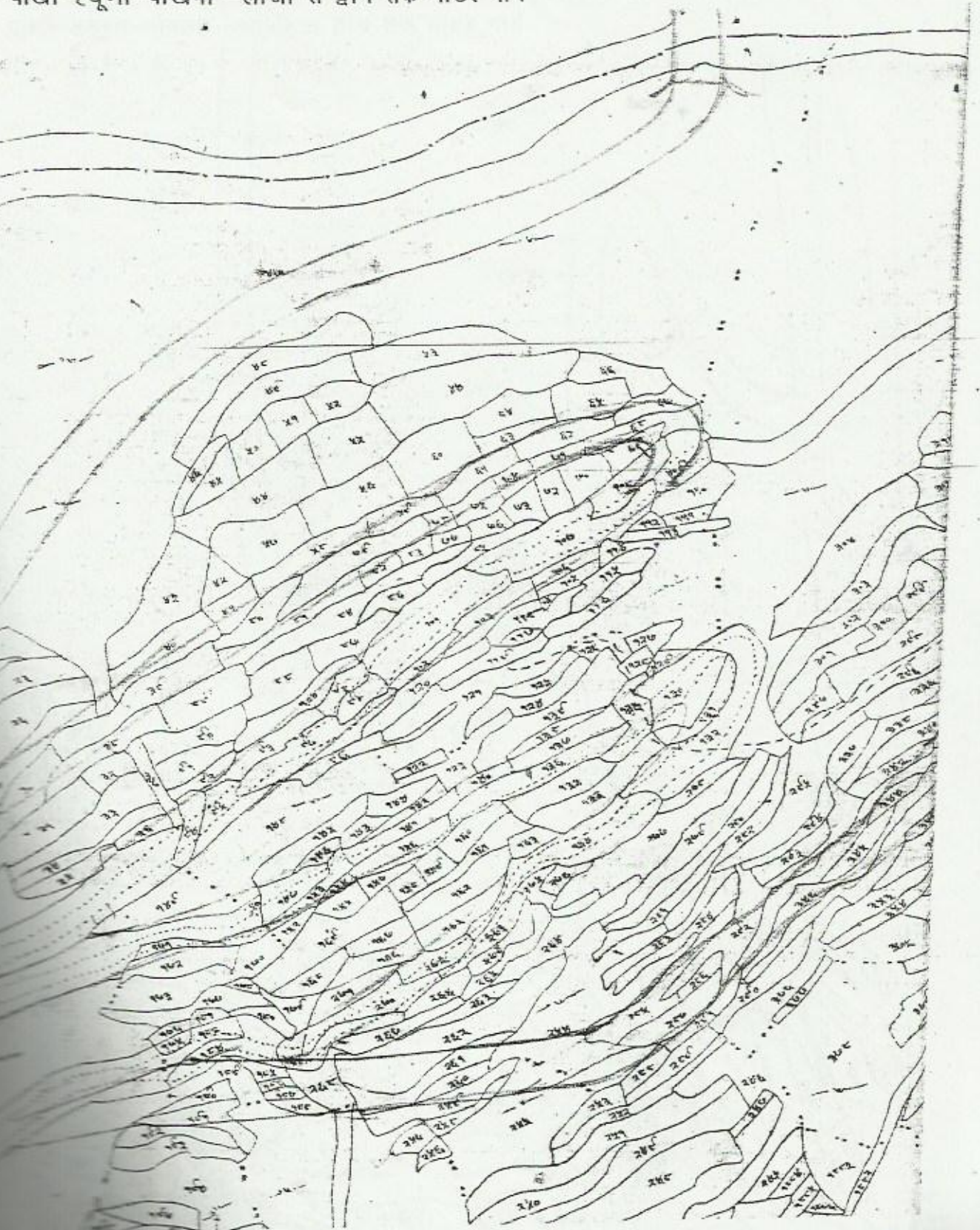
क्रम सं०	खसरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	खाता नम्बर	नाम भूमिधर	लिया गया रकवा हे०	भूमि किस्म	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्राम पाखी सिविल						
	47 म०	1.951	8	उत्तराखण्ड सरकार	0.050	बंजर	
2	ग्राम पोखनी सिविल/वन पंचायत :-						
	1362 म०	23.363	4	उत्तराखण्ड सरकार	0.755	बंजर	
	1371 म०	10.089	4	उत्तराखण्ड सरकार	0.635	बंजर	
	1393 म०	1.565	4	उत्तराखण्ड सरकार	0.045	बंजर	
	1582 म०	19.539	4	उत्तराखण्ड सरकार	0.980	बंजर	
	1590 म०	0.422	4	उत्तराखण्ड सरकार	0.065	बंजर	
	1608 म०	0.290	5	उत्तराखण्ड सरकार	0.050	सैली	
2	ग्राम लांजी सिविल :-						
	998 म०	0.361	4	उत्तराखण्ड सरकार	0.050	बंजर	
	1005 म०	2.174	3	उत्तराखण्ड सरकार	0.185	बंजर	
	1073 म०	0.240	4	उत्तराखण्ड सरकार	0.050	बंजर	
	1084 म०	1.250	4	उत्तराखण्ड सरकार	0.086	बंजर	
	1122 म०	3.853	4	उत्तराखण्ड सरकार	0.740	बंजर	
	1216 म०	0.425	3	उत्तराखण्ड सरकार	0.040	गौचर	
	1217 म०	0.338	8	उत्तराखण्ड सरकार	0.005	गौचर	
	1221 म०	0.335	3	उत्तराखण्ड सरकार	0.008	भीटा	
	1224 म०	0.230	4	उत्तराखण्ड सरकार	0.0500	बंजर	
	1225 म०	0.181	8	उत्तराखण्ड सरकार	0.030	भीटा	
	1226 म०	0.043	8	उत्तराखण्ड सरकार	0.010	गौचर	
	1227 म०	0.294	3	उत्तराखण्ड सरकार	0.016	गौचर	
3	ग्राम पोखनी (मक डिसपोजल हेतु)						
	1122 म०	3.855		उत्तराखण्ड सरकार	0.060	बंजर	
	1362 म०	23.363		उत्तराखण्ड सरकार	0.060	बंजर	
		94.161		योग :-	3.970		

महोदय
तहसीलदार
Jashimath
कनिष्ठ अभियन्ता

उपजिलाधिकारी
बदनाथ
सहायक अभियन्ता

अधिशायी अभियन्ता
प्रा० ख० नं० ०१०/०१०
गोपेश्वर

कार्य का नाम :- मा0मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ में
पाखी-ह्यूणा-पोखनी -लांजी से द्वीग तक मोटर मार्ग



सहायक अभियन्ता

हिसोलदार

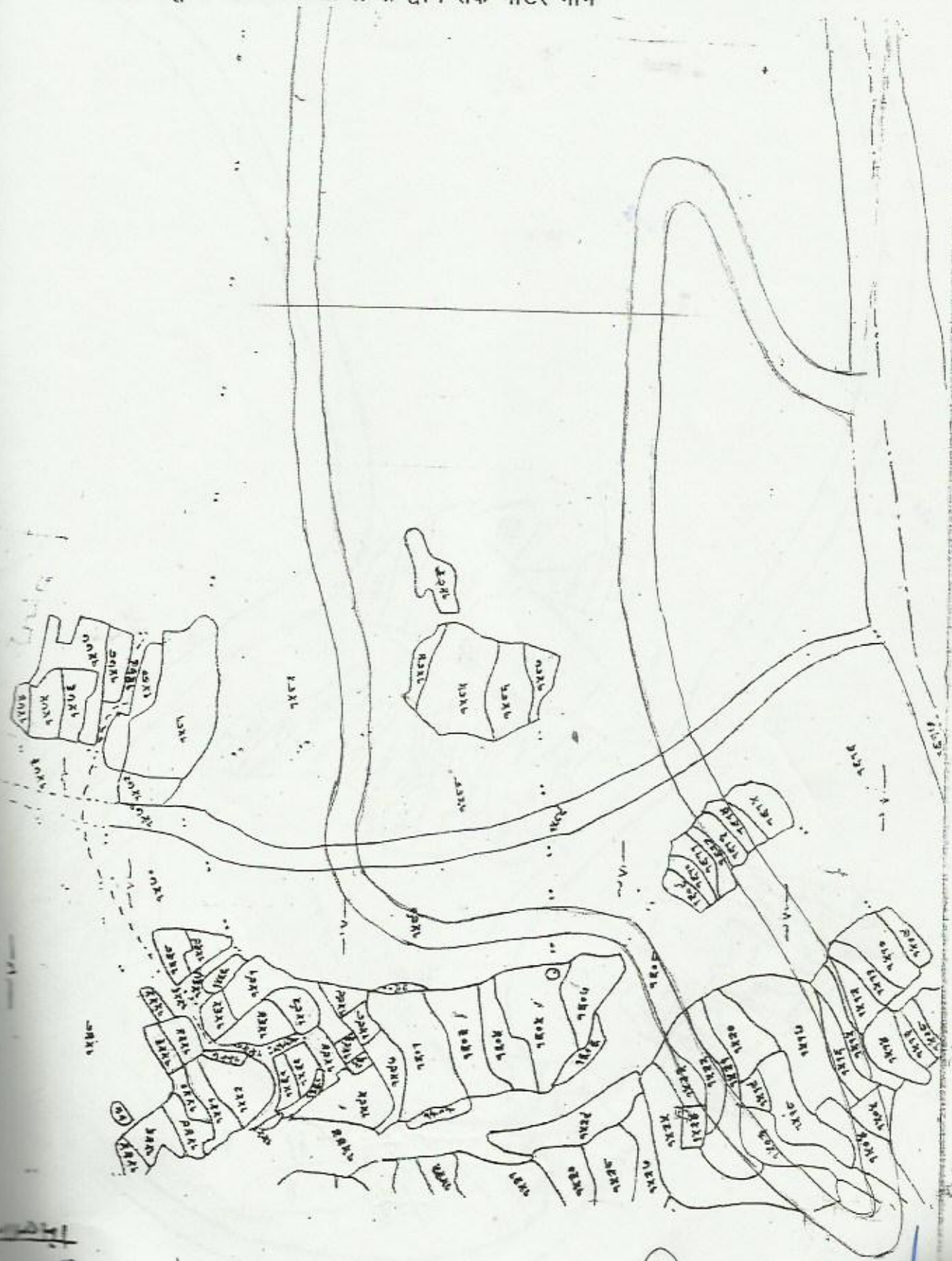


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० गोपेश्वर

उपजिलाधिकारी

बोधीय

कार्य का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ में
पाखी-हयूणा-पोखनी-लांजी से द्वीग तक मोटर मार्ग



कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० गोपेश्वर

तहसीलदार
Jashimath

उपजिलाधिकारी
बोधीर

कार्य का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ में
पाखी-हयूणा-पोखनी-लांजी से द्वीग तक मोटर मार्ग



कनिष्ठ अभियन्ता

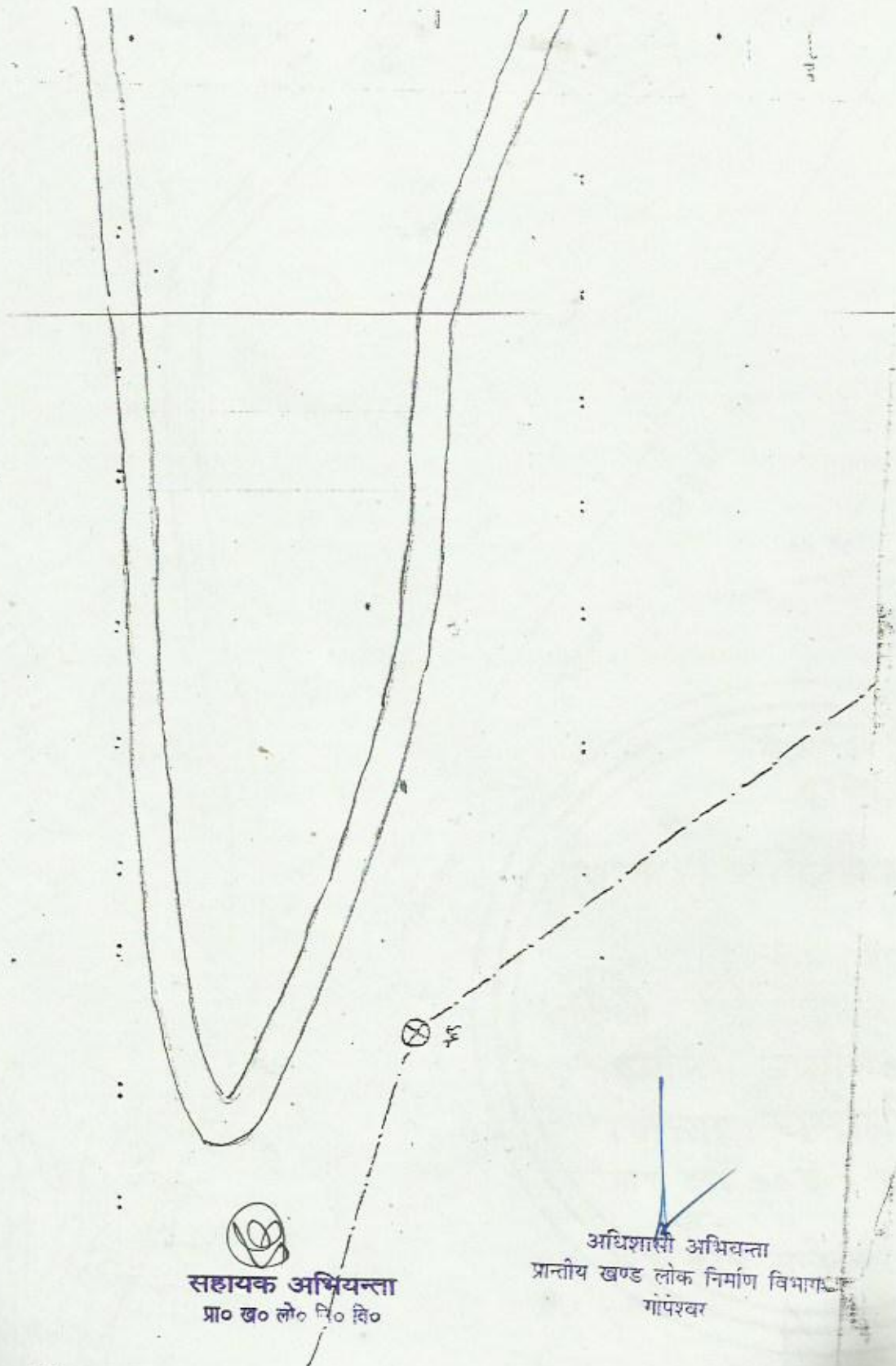


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० दि०

उपजिलाधिकारी

उपजिलाधिकारी

कार्य का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बट्टीनाथ में
पाखी-हयूणा-पोखनी -लांजी से द्वीग तक मोटर मार्ग



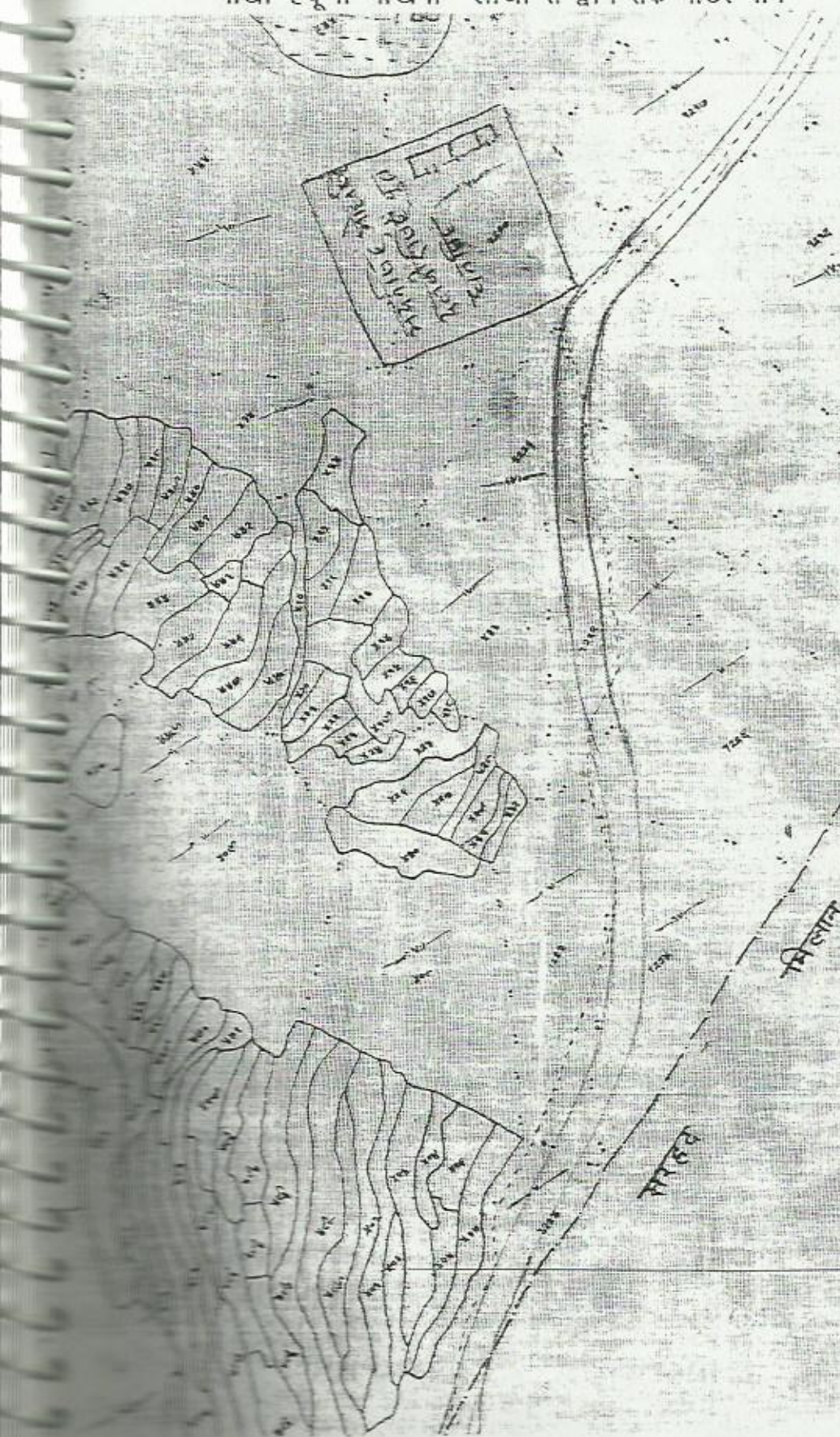
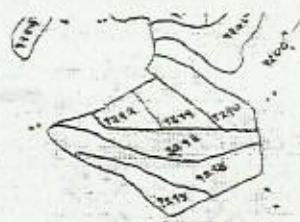
सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० ले० नि० दि०

अधिसूची अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

अ. अभि.
क. अभि.

अ. अभि.
क. अभि.
अ. अभि.

अ. अभि.
क. अभि.



ग्राम लोंजी त
पट्टी पैनाखन्डा
परगना पैनाखन्डा
तहसील जोशीमठ
जिल्हा चमोली
माप दण्ड ३२ इं. = १
तन
कृषि सम्बन्ध

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० दि० गोपेन्द्र

अपि विवेचयिष्यामि

कार्य का नाम :- मा० मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ में
पाखी-ह्यूंगा-पोखनी -लांजी से द्वीग तक मोटर मार्ग



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० गोपेश्वर अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण वि०

तहसीलदार

Behimath

उपजिलाधिकारी

विभागाध्यक्ष

बोरोध

तेहसीलदार
Joshi

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० गोपेश्वर
अ
उपजिलाधिकारी
विवाहिकार्ड
बोर्डियट

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण पत्र

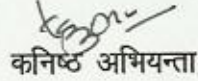
परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

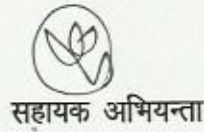
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.85 हेक्टेयर सिविल/ वन पंचायत वनभूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.120 हेक्टेयर वनभूमि इस प्रकार कुल 3.97 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता है, इस भूमि की लागत ₹55400/- प्रति नाली की दर से कुल रु0 21.99.38.28..... निर्धारित है।



अमीन



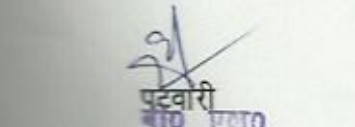
कनिष्ठ अभियन्ता



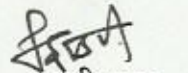
सहायक अभियन्ता



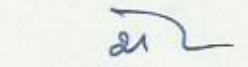
अधिशास्त्री अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर



पटवारी
बि० एल०
लेगडी
जोशीमठ
जोशीमठ



तहसीलदार
Tahsildar
Joshimath



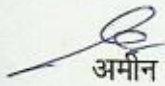
विशेष अभियन्ता,
जोशीमठ

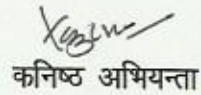
गैर वानिकी एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का प्रमाण पत्र

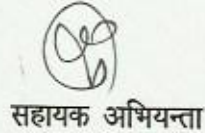
परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

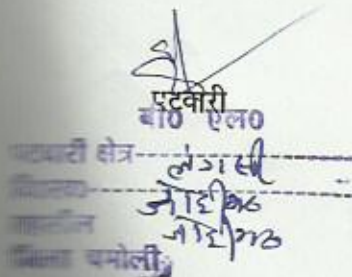
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.85 हे० सिविल/ वन पंचायत वनभूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.120 हेक्टेयर वनभूमि इस प्रकार कुल 3.97 हेक्टेयर वनभूमि की क्षति पूर्ति वृक्षारोपण लोक निर्माण विभाग के व्यय से अवनत वन भूमि के दुगुने क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण करा दिया जायेगा, तथा जो भी धनराशि वृक्षारोपण के लिये निर्धारित की जायेगी, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा।

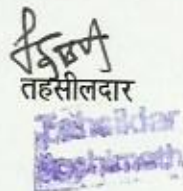

अर्मान

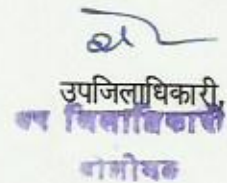

कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर


पटवारी
बोर्ड एल०
पंचायत क्षेत्र लं० ज०
जोशीमठ
जोशीमठ
जोशीमठ
जोशीमठ


तहसीलदार
Tahsiladar
Joshi Math

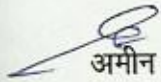

उपजिलाधिकारी,
जय चिन्ताधिकारी
जोशीमठ

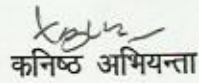
शर्त सहमति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ली गयी सिविल वन भूमि हस्तांतरण हेतु भारत सरकार, राज्य सरकार व वन विभाग द्वारा लगाई गयी सम्पूर्ण शर्तें लोक निर्माण विभाग को मान्य हैं।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

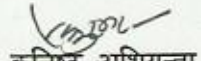
भूमि सम्बन्धित प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव में दर्शायी गयी भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं पड़ती है। वांछित वन भूमि न्यूनतम है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता

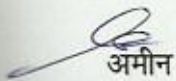

सहायक अभियन्ता

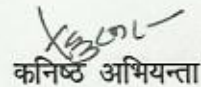

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

सिविल/आरक्षित/वन पंचायत वन भूमि का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.85 हे० सिविल/वन पंचायत वनभूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.120 हेक्टेयर वनभूमि इस प्रकार कुल 3.97 हेक्टेयर वनभूमि ली गई है, उसको मोटर मार्ग/मार्ग निर्माण के प्रयोजन हेतु संस्तुति की जाती है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता

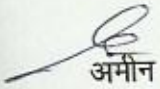

सहायक अभियन्ता

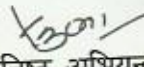

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रां० खं० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

उत्पादित मलवे का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जो भूमि ली जा रही है, मार्ग का निर्माण उससे कम चौड़ाई में किया जायेगा तथा मार्ग निर्माण से उत्पादित मलवे का निस्तारण हियर पिन बैण्ड, दीवार निर्माण एवं निर्माण कार्य में किया जायेगा। अवशेष मलवे की निस्तारण योजना संलग्न है।



सहायक अभियन्ता

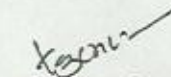
अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणान्तर्गत
पाखी-ह्यूणा-पोखनी-लांजी-द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना में वृक्षों की सूची
संलग्न है।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर